



## **The Chhattisgarh Fire and Emergency Service Act, 2018**

Act 19 of 2018

### **Keyword(s):**

Disaster, Emergency, Erector of Pandal, Fire Prevention and Life Safety Fund, Fire Station, Local Fire and Emergency Services, Multi Storey Building, Planning Authority

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 300 ]

रायपुर, शनिवार, दिनांक 18 अगस्त 2018— श्रावण 27, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्र. 8214/डी. 153/21-अ/प्रारू./छ.ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 02-08-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

**छत्तीसगढ़ अधिनियम**  
(क्र. 19 सन् 2018)  
**छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2018.**

**विषय सूची**

**धारा**

**विवरण**

अध्याय—एक  
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
2. परिभाषाएं

अध्याय—दो  
अग्निशमन और आपातकालीन सेवा का गठन अधीक्षण,  
नियंत्रण और अनुरक्षण

3. सम्पूर्ण राज्य के लिए एक अग्निशमन और आपातकालीन सेवा.
4. सहायक अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा.
5. अग्निशमन केन्द्रों का सृजन
6. शासन में निहित अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का अधीक्षण.
7. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का गठन एवं वर्गीकरण.
8. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के महानिदेशक की नियुक्ति
9. अग्निशमन संभागों, अग्निशमन जिलों, अग्निशमन अनु-विभागों और अग्निशमन केन्द्रों का गठन.
10. अग्निशमन अधिकारी को प्रमाण-पत्र जारी करना.
11. अग्निशमन अधिकारी के निलंबन का प्रभाव.
12. महानिदेशक की सामान्य शक्तियाँ.
13. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा में स्वयंसेवकों की भूमिका.

अध्याय—तीन  
अग्नि निवारण और स्व-नियमन

14. निवारक उपाय.
15. षण्डालों में अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपाय स्व-नियमित होंगे.
16. अग्नि का जोखिम का कारण बनने या अग्निशमन के रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न करने वाले अवैध कब्जा, वस्तु या सामान को हटाना.
17. अग्नि और/या बचाव के अवसर पर अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के सदस्यों की शक्तियाँ.
18. अग्नि सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति.
19. अग्नि सुरक्षा अधिकारी के व्यतिक्रम या गैर नियुक्ति के मामले में शास्ति.
20. अग्नि रोकथाम उपायों के प्रदाय हेतु मालिक या कब्जाधारी का दायित्व.

**अध्याय—चार**  
**अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का नियंत्रण और अनुशासन**

21. उत्तरों, प्रतिवेदनों, विवरणों आदि मंगाया जाना .
22. अग्निशमन अधिकारियों को हमेशा कर्तव्य पर समझा जाएगा और वे राज्य के किसी भी भाग में नियुक्त किये जाने हेतु बाध्य होंगे.
23. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा को समाज के लिए आवश्यक सेवा घोषित करना.
24. कर्तव्य के उल्लंघन के लिए शास्ति.
25. किसी संगठन को सृजित करने के अधिकार संबंधी प्रतिबंध.

**अध्याय—पांच**  
**अग्निशमन कर, शुल्क और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण**

26. अग्निशमन कर का उद्ग्रहण.
27. अग्निशमन कर का निर्धारण, संग्रहण आदि की रीति.
28. निधि का गठन.
29. राज्य की सीमाओं से बाहर अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के परिनियोजन पर शुल्क.
30. अन्य अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के साथ पारस्परिक अग्निशमन व्यवस्थाएँ.
31. सहायता हेतु व्यवस्थाओं में सम्मिलित होने हेतु महानिदेशक की शक्तियाँ.
32. शासकीय भवनों के लिए कर में छूट.

**अध्याय—छः**  
**राज्य में कतिपय भवनों और परिसरों में अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए विशेष प्रावधान**

33. निरीक्षण हेतु प्रवेश की शक्ति एवं अनुज्ञप्तियों के निरस्तीकरण हेतु अनुशंसा.
34. अपील.
35. धारा 33 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए शास्ति.

**अध्याय—सात**  
**विविध**

36. अन्य क्षेत्रों में तैनाती.
37. अन्य कर्तव्य पर नियोजन.
38. क्षतिपूर्ति के भुगतान हेतु संपत्ति के स्वामी की देयता.
39. सूचना प्राप्त करने की शक्ति.
40. प्रवेश की शक्ति
41. भवनों या परिसरों को सील करने की शक्ति.
42. आपातकाल के दौरान जल की आपूर्ति.
43. जल आपूर्ति में बाधा हेतु कोई प्रतिपूर्ति नहीं.
44. जल के लिए क्षतिपूर्ति.
45. अग्निशमन सम्पत्ति की अध्यपेक्षा.
46. पुलिस अधिकारी और अन्य की सहायता लेना.
47. सावधानी अपनाने में विफलता.

48. अग्निशमन एवं बचाव कार्यो में जानबूझकर बाधा उत्पन्न करने पर शास्ति.
49. झूठी रिपोर्ट.
50. अपराध हेतु दण्ड के लिए सामान्य प्रावधान.
51. अपराधों का प्रशमन.
52. न्यायालय के अधिकारिता का वर्जन.
53. अपराधों का संज्ञान.
54. क्षेत्राधिकार.
55. सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.
56. अधिकारियों का लोक सेवक होना.
57. अपराध और शास्ति.
58. कंपनियों द्वारा अपराध.
59. नियम बनाने की शक्ति.
60. शक्तियों का प्रत्यायोजन.
61. कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.

## छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 19 सन् 2018)

### छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2018

छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा की स्थापना करने, सेवा की शक्तियों एवं कृत्यों को अभिकथित करने और उससे संबंधित एवं उसके आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

#### अध्याय-एक प्रारंभिक

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2018 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा।
- (3) यह ऐसी तिथि पर किसी भी क्षेत्र में प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे तथा इस अधिनियम के विभिन्न क्षेत्रों के लिए तथा विभिन्न प्रावधानों के लिए, विभिन्न तिथियां नियत कर सकेगा।
2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- परिभाषाएं.
  - (1) "अपर जिला मजिस्ट्रेट" से अभिप्रेत है शासन का कोई अधिकारी, जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 20 की उप-धारा (2) के अधीन अपर जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त हो;
  - (2) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्रेत है अधिकारी, जो विहित नियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामांकित अधिकारी से दो श्रेणी उच्चतर हो ;
  - (3) "यथोचित न्यायिक प्राधिकार" से अभिप्रेत है अभियोजन से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए अधिकारिता रखने वाले प्राधिकार;
  - (4) "भवन" में सम्मिलित है ऊंची इमारत (गगनचुंबी), घर, बहिर्गृह (आऊट हाऊस), अस्तबल, गोदाम, शेड (सायबान), झोपड़ी, दीवार (बाउंड्रीवॉल के अलावा) हदबंदी (घेरा), चबूतरा और कोई अन्य संरचना, चाहे वह पक्की चिनाई, ईट, लकड़ी, मिट्टी, धातु अथवा किसी अन्य सामग्री से निर्मित हो;
  - (5) "भवन उप-विधियाँ" से अभिप्रेत है किसी तत्संबंधी नगरपालिका विधि के अंतर्गत उप-विधि, नियम या विनियम और जिसमें भूमि विकास नियम 1984, तत्समय प्रवृत्त तथा वर्तमान में प्रचलित किसी अन्य विधि के अंतर्गत निर्मित विकास नियंत्रण नियम या कोई अन्य भवन नियम या विनियम सम्मिलित है;
  - (6) "महानिदेशक" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत नियुक्त महानिदेशक, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा;
  - (7) "आपदा" से अभिप्रेत है किसी क्षेत्र में दुर्घटना या किसी असावधानी के कारण घटित प्राकृतिक या मानव निर्मित त्रासदी, तबाही, आपदा या गंभीर क्षति, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक जीवन हानि या मानवीय कष्ट अथवा सम्पत्ति का विनाश हुआ हो और क्षति पहुंची हो अथवा पर्यावरण में ह्रास हुआ हो और ऐसी प्राकृतिक या परिणामिक घटना हो जो प्रभावित क्षेत्र के समुदाय (लोगों) द्वारा

सामना करने की क्षमता से परे हो और जो कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) समय-समय पर यथा संशोधित में परिभाषित हो;

- (8) "जिला अग्निशमन अधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (4) के अंतर्गत नियुक्त किया गया हो;
- (9) "जिला मजिस्ट्रेट" से अभिप्रेत है शासन का ऐसा अधिकारी, जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 20 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया हो;
- (10) "संभागीय अग्निशमन अधिकारी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (4) के अंतर्गत नियुक्त किया गया हो;
- (11) "आपातकाल" से अभिप्रेत है गंभीर परिस्थितियां या घटना, जो अनायास सृजित होती है और जिसके लिए अग्नि एवं आपातकालीन सेवाओं की तत्काल कार्रवाई की मांग होती है;
- (12) "आपातकालीन सेवा" से अभिप्रेत है किसी आपदा में रिक्तिकरण, बचाव और राहत कार्य;
- (13) "शामियाना (पण्डाल) का निर्माणकर्ता" से अभिप्रेत है व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, चाहे वह संगठन हो या अन्यथा हो, जो नियमित या अस्थायी आधार पर लोगों के अधिवास के लिए किसी संरचना या पण्डाल का निर्माण करता हो या बनाता हो;
- (14) "अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन शासन द्वारा राज्य में स्थापित अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा;
- (15) "अग्निशमन जिले" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन गठित एक प्रशासनिक इकाई;
- (16) "अग्निशमन संभाग" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन गठित एक प्रशासनिक इकाई;
- (17) "अग्निशमन शुल्क" से अभिप्रेत है अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अधीन उद्ग्रहित, प्रभारित, अधिरोपित अथवा संग्रहित कोई शुल्क;
- (18) "अग्निशमन सम्पत्ति" से अभिप्रेत है तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—
  - (क) अग्निशमन केन्द्रों के रूप में उपयोग की जाने वाली भूमि एवं भवन;
  - (ख) अग्निशमन हेतु प्रयुक्त अग्निशमन इंजनों, उपकरणों, यंत्रों, औजारों एवं जो भी अग्निशमन हेतु प्रयुक्त हो;
  - (ग) अग्निशमन के संबंध में प्रयुक्त मोटरयान या परिवहन का अन्य साधन; और
  - (घ) वर्दियां और पदों की बैजें;
- (19) "अग्निशमन अधिकारी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का कोई परिचालित सदस्य;
- (20) "अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा निधि" से अभिप्रेत है ऐसी निधि, जो इस अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (1) के अधीन गठित है और जो एक पृथक बैंक खाते द्वारा अनुरक्षित है;
- (21) "अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपाय" से अभिप्रेत है ऐसा

उपाय, जो अग्नि के रोकथाम, नियंत्रण और शमन के लिए तथा अग्नि की स्थिति में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भवन उप-विधियों/भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार या इस निमित्त बनाए गए नियमों में विहित किये गये अनुसार आवश्यक है;

- (22) "अग्निशमन केन्द्र" से अभिप्रेत है कोई ऐसा स्थान, जिसे शासन द्वारा सामान्यतः या विशेषतः अग्निशमन केन्द्र घोषित किया गया हो;
- (23) "अग्निशमन अनु-विभाग" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 9 के अधीन गठित एक प्रशासनिक इकाई;
- (24) "अग्निशमन कर" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 26 में इस संबंध में यथा विनिर्दिष्ट भूमि और भवनों पर शासन द्वारा उद्ग्रहित कर;
- (25) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन विहित प्ररूप;
- (26) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
- (27) "स्थानीय प्राधिकरण" से अभिप्रेत है नगर निगम या नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत या राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी भी संबंधित नगरपालिका विधि या नगर निवेश विकास प्राधिकरण के अधीन गठित कोई औद्योगिक टारुनशीप अथवा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अधीन गठित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण;
- (28) "स्थानीय अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा" से अभिप्रेत है राज्य के किसी स्थानीय प्राधिकरण की स्थानीय अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा;
- (29) अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के संबंध में "सदस्य" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा में नियुक्त कोई व्यक्ति;
- (30) "सेवा के सदस्य" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 7 के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति;
- (31) "बहुमंजिला भवन (इमारत)" से अभिप्रेत है ऐसे न्यूनतम ऊँचाई के भवन, जैसा कि इस निमित्त बनाये गये नियमों के अंतर्गत विहित किया जाए तथा स्थानीय प्राधिकारी या शासन द्वारा अधिसूचित किया जाए;
- (32) "भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता, 2016" से अभिप्रेत है समय-समय पर यथा संशोधित पुस्तक, जिसमें भवनों, स्थलों, परिसरों, कार्यशालाओं, वेयरहाउसों और उद्योगों में क्रियान्वित किए जाने वाले अग्नि रोकथाम और जीवन सुरक्षा के उपाय अंतर्विष्ट हैं, जिसे समय-समय पर संशोधन सहित अथवा संशोधन के बिना, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रकाशित किया गया हो;
- (33) "नामांकित प्राधिकारी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नामांकित प्राधिकारी के रूप में महानिदेशक द्वारा नामांकित कोई अधिकारी, जो जिला अग्निशमन अधिकारी की श्रेणी से निम्न का न हो;
- (34) "नामांकित अधिकारी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु महानिदेशक द्वारा नामांकित कोई अधिकारी, जो जिला अग्निशमन अधिकारी की श्रेणी से निम्न का न हो :
- परंतु यह कि विभिन्न क्षेत्रों के लिए, विभिन्न अधिकारियों को नामांकित किया जा सकेगा;
- (35) "अधिसूचना" से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना एवं शब्द "अधिसूचित" का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;



- (36) **“अधिभोग (कब्जा)”** से अभिप्रेत है सैद्धांतिक रूप से अधिभोग (कब्जा), जिसके लिए भवन या भवन के किसी भाग को प्रयुक्त किया जा रहा हो या प्रयुक्त किया जाना आशयित हो, जिसमें सहायक अधिभोग (कब्जा), जो उस पर प्रासंगिक है, सम्मिलित है;
- (37) **“कब्जाधारी”** से अभिप्रेत है तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित है,—
- (क) ऐसा व्यक्ति, जो ऐसे किसी भूमि या भवन, जिसके संबंध में ऐसा किराया देय है या देय योग्य है, के लिए स्वामी को किराया अथवा किराये के किसी भाग का तत्समय भुगतान कर रहा हो अथवा भुगतान के लिए दायी हो;
- (ख) अपनी भूमि या भवन का उपयोग करने वाला कब्जाधारी स्वामी या अन्य;
- (ग) किसी भूमि या भवन का किराया—मुक्त किरायेदार;
- (घ) किसी भूमि या भवन का अनुज्ञापति कब्जाधारी; और
- (ङ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि या भवन के उपयोग और कब्जे के लिए भवन स्वामी को क्षति का भुगतान करने हेतु दायी हो;
- (38) **“अग्निशमन केन्द्र के प्रभारी अधिकारी”** में सम्मिलित है ऐसे अधिकारी की श्रेणी के आगामी स्तर का अग्निशमन अधिकारी और केन्द्र में उपस्थित अधिकारी, जब अग्निशमन केन्द्र का प्रभारी अधिकारी, केन्द्र से अनुपस्थित हो या बीमारी के कारण या किसी अन्य कारणवश, अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ हो;
- (39) **“राजपत्र”** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन का राजपत्र ;
- (40) अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के **“परिचालित सदस्य”** से अभिप्रेत है अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के ऐसे कोई सदस्य, जिनके लिए अग्निशमन वाहन को चलाना या परिचालन करना अपेक्षित हो और जिनके लिए अग्नि के उचित रूप से शमन के लिए अग्निशमन उपकरणों और उपस्करों का प्रयोग अग्निस्थल पर करना और उसका भाग होना आवश्यक हो;
- (41) **“स्वामी”** में सम्मिलित है ऐसा व्यक्ति, जो किसी भूमि या भवन का तत्समय किराया प्राप्त कर रहा है अथवा पाने का हकदार है, चाहे वह स्वयं अथवा किसी अभिकर्ता, न्यासी, अभिभावक या प्राप्तकर्ता के रूप में प्राप्त कर रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे किराया प्राप्त करना चाहिए या जो प्राप्त करने का हकदार है यदि किसी भूमि या भवन या इसके किसी भाग को किरायेदार को किराये पर दे दिया हो;
- (42) **“पण्डाल”** से अभिप्रेत है पुआल, सूखीघास, उलूघास, गोलपट्टा, होगला, डर्मा, चटाई, कैनवास, कपड़े या इसी प्रकार की अन्य सामग्री से निर्मित छत या दीवारों की एक अस्थायी संरचना, जिसका उपयोग स्थायी या निरंतर आधिवास के लिए नहीं किया जाता है;
- (43) **“योजना प्राधिकारी”** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ नगर निवेश विकास प्राधिकरण नियम 1973, (क्रमांक 23 सन 1973) के अधीन अधिसूचित निर्धारित विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए राज्य सरकार द्वारा नामांकित कोई भी प्राधिकरण;
- (44) **“परिसर”** से अभिप्रेत है किसी भूमि या किसी भवन या किसी भवन के भाग, और इसमें बगीचा, मैदान और बर्हिगृह, यदि कोई हो, किसी भवन से सम्बद्ध कोई उपांग या भवन का कोई भाग, और कोई भूमि या कोई भवन या भवन के उपांग का भाग, जिसे किसी विस्फोटकों, विस्फोटक पदार्थों और खतरनाक ज्वलनशील पदार्थों के भण्डारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है;

- स्पष्टीकरण** – इस उप-धारा में “विस्फोटक” “विस्फोटक पदार्थ” और “खतरनाक ज्वलनशील पदार्थ” के वही अर्थ होंगे, जैसा कि विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4), विस्फोटक (पदार्थ) अधिनियम, 1908 (1908 का 6) और ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 (1952 का 20) में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित है;
- (45) “विहित” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन शासन द्वारा निर्मित नियमों द्वारा विहित;
- (46) “विहित प्राधिकार” से अभिप्रेत है शासन द्वारा, उसकी ओर से या उसके नाम से कार्य करने हेतु, अधिसूचित प्राधिकार ;
- (47) “संबंधित नगरपालिका विधि” से अभिप्रेत है किसी नगरनिगम या किसी नगरपालिका परिषद् द्वारा विरचित कोई विधि;
- (48) “नियम” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम;
- (49) “अनुसूची” से अभिप्रेत है इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;
- (50) “सेवा” से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन स्थापित और अनुरक्षित छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा;
- (51) “राज्य” से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य;
- (52) “राज्य नियम” से अभिप्रेत है राज्य शासन द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत बनाया गया नियम;
- (53) “अग्निशमन केन्द्र अधिकारी” से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति, जिसे इस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (4) के अधीन नियुक्त किया गया हो;
- (54) “अनुविभागीय मजिस्ट्रेट” से अभिप्रेत है शासन का अधिकारी, जिसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 20 की उप-धारा (4) के अधीन अनुविभागीय मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया हो;
- (55) “अधीनस्थ (सहायक) परिचालित स्टॉफ” में सम्मिलित है फायरमेन, लीडिंग फायरमेन, चालक की श्रेणी और किसी अन्य समतुल्य श्रेणी का अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का प्रत्येक सदस्य।

#### अध्याय-दो

#### अग्निशमन और आपातकालीन सेवा का गठन, अधीक्षण, नियंत्रण और अनुरक्षण

3. (1) पूरे राज्य के लिए एक अग्निशमन और आपातकालीन सेवा होगी तथा अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के सभी अधिकारी और अधीनस्थ श्रेणी, अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा के किसी भी शाखा में तैनाती के लिए उत्तरदायी होंगे:

सम्पूर्ण राज्य के लिए एक अग्निशमन और आपातकालीन सेवा.

परंतु यह कि शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, राज्य के किसी अग्निशामक दल अथवा किसी अन्य स्थानीय अग्निशामक दल अथवा किसी स्थानीय प्राधिकार के किसी अन्य स्थानीय अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, की घोषणा कर सकेगा कि वह किसी भी समय राज्य अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का भाग रहेगा अथवा नहीं रहेगा:

परंतु यह और कि यह स्थिति, किसी विशिष्ट भवन या उद्योग के स्वामी या उसके कब्जाधारी द्वारा स्थापित अग्निशमन सुरक्षा के प्रदाय हेतु अनुरक्षित निजी अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं पर लागू नहीं होगी।

- (2) इस अधिनियम अथवा किसी स्थानीय प्राधिकार के संबंध में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अग्निशामक या अग्नि रोकथाम से संबंधित सेवाओं को, राज्य अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के एक भाग के रूप में, ऐसी तारीख से, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाये, घोषित कर सकेगा।
- (3) उप-धारा (2) के अधीन इस प्रकार की घोषणा किये जाने पर,—
- (एक) इस घोषणा के तत्काल पूर्व, किसी अग्निशमन अधिकारी के समक्ष लंबित सभी कार्रवाईयां, उस कार्यालय के प्रभारी की हैसियत से उसके समक्ष लंबित कार्रवाई समझी जायेगी;
- (दो) इस प्रकार के स्थानीय प्राधिकारों के स्थानीय अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा से संबंधित सभी आस्तियां, अधिकार और देनदारियां, ऐसे निबंधनों और शर्तों, जैसा कि शासन उचित समझे, के अध्वधीन रहते हुए, राज्य अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा को स्थानांतरित हो जायेगी;
- (तीन) शासन, ऐसी अन्य आवश्यक कार्रवाईयां कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।
4. सहायक अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा. जब कभी भी शासन को ऐसा प्रतीत होता है कि अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा को आवर्धित करना आवश्यक है तो वे ऐसे क्षेत्र के लिए एवं ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर, जैसा कि नियम में हो, स्वयंसेवकों को नामांकित करते हुए, एक सहायक सेवा स्थापित कर सकते हैं।
5. अग्निशमन केन्द्रों का सृजन. शासन, ग्रामीण क्षेत्रों तक अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा की पहुँच में वृद्धि करने हेतु यथा आवश्यक अग्निशमन संभागों, अग्निशमन जिलों, अग्निशमन अनु-विभागों और अग्निशमन केन्द्रों का सृजन करेगा।
6. शासन में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का अधीक्षण. संपूर्ण राज्य में स्थित अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का अधीक्षण और नियंत्रण, शासन में निहित होगा तथा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा, इस अधिनियम एवं इसके अधीन निर्मित नियमों के अनुसार, ऐसे अग्निशमन अधिकारी, जैसा कि शासन समय-समय पर इस निमित्त नियत करे, के माध्यम से शासन द्वारा प्रशासित होंगे।
7. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का गठन एवं वर्गीकरण. (1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्वधीन रहते हुए, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा में, ऐसी संख्या में ऐसी श्रेणी के कर्मचारी शामिल होंगे तथा ऐसे संगठन होंगे और ऐसी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य होंगे, जैसा कि शासन, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, अवधारित करे।
- (2) शासन निम्नलिखित को नियमों द्वारा विहित कर सकेगा,—
- (एक) अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के विभिन्न पद;
- (दो) कर्मचारियों की भर्ती की रीति और इसमें संलग्न अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के पदों की श्रेणी, योग्यतायें, वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें और इनसे संबंधित मामले।
8. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के महानिदेशक की नियुक्ति. (1) अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, राज्य शासन के निर्देशन और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करेंगे, राज्य शासन, महानिदेशक को नियुक्त करेगा, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्तव्यों और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन विनिर्दिष्ट हो तथा ऐसे महानिदेशक को अग्निशमन अधिकारी समझा जाएगा।

- (2) शासन, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग या कर्तव्यों या कृत्यों का निर्वहन करते समय महानिदेशक को सहायता करने हेतु, ऐसे अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा या नियुक्ति प्रभार दे सकेगा जैसा कि समय-समय पर आवश्यक हो।
- (3) इस प्रकार नियुक्त महानिदेशक के क्षेत्रधिकार का विस्तार, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा से संबंधित मामलों में संपूर्ण राज्य में होगा।
- (4) शासन के नियंत्रण, निर्देशन और अधीक्षण के अधीन रहते हुए, महानिदेशक, ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के द्वारा उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित हो।
9. (1) शासन, राज्य के भीतर अग्निशमन संभागों और अग्निशमन जिलों का गठन कर सकेगा।
- (2) शासन, ऐसे अग्निशमन जिलों को ऐसे अग्निशमन अनु-विभागों में विभाजित कर सकेगा जैसा कि आवश्यक समझे और प्रत्येक अग्निशमन संभाग, अग्निशमन जिला और अग्निशमन अनु-विभाग में क्रमशः अग्निशमन केन्द्रों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा।
- (3) शासन, ऐसे अग्निशमन संभागों, अग्निशमन जिलों, अग्निशमन अनु-विभागों एवं अग्निशमन केन्द्रों की सीमाओं और विस्तार में संशोधन कर सकेगा, जैसा कि प्रशासनिक और कार्यकारी दक्षता हेतु आवश्यक हो।
- (4) (एक) शासन प्रत्येक के लिए निम्नलिखित को नियुक्त कर सकेगा या नियुक्ति प्रभार दे सकेगा,—
- (क) प्रत्येक अग्निशमन संभाग के लिए, संभागीय अग्निशमन अधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति को;
- (ख) प्रत्येक अग्निशमन जिले के लिए, जिला अग्निशमन अधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति को;
- (ग) प्रत्येक अग्निशमन केन्द्र के लिए, अग्निशमन केन्द्र अधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति को।
- (दो) इस उप-धारा के अधीन नियुक्त अग्निशमन अधिकारी की नियुक्ति के लिए अर्हताएं और सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्तें ऐसी होंगी, जैसा कि विहित किया जाए।
- (तीन) शासन, आदेश द्वारा, यथास्थिति, स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकरण को, निर्देशित करेगा कि किसी व्यक्ति को अग्निशमन अधिकारी नियुक्ति करे।
- (5) (एक) उप-धारा (4) के अधीन नियुक्त अग्निशमन अधिकारी, महानिदेशक के नियंत्रण, निर्देशन और अधीक्षण के अधीन रहते हुए, ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या जारी आदेशों द्वारा उसे प्रदत्त या उस पर अधिरोपित हो।
- (दो) उपरोक्त खण्ड के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, अग्नि के रोकथाम और आपदा के मामले में अग्निशमन अधिकारी, अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन अग्नि की रोकथाम या आपातकालीन स्थिति में, उक्त घटना के लिए कमांडिंग आफिसर के रूप में कार्य करेंगे और स्थानीय एवं निजी अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के लिए पदस्थ अन्य सभी, उनके अधीन कार्य करेंगे।
- अग्निशमन संभागों, अग्निशमन जिलों, अग्निशमन अनु-विभागों और अग्निशमन केन्द्रों का गठन.

- अग्निशमन अधिकारी को प्रमाण-पत्र जारी करना.
10. (1) अग्निशमन केन्द्र अधिकारी की श्रेणी से निम्न के प्रत्येक अग्निशमन अधिकारी, भर्ती या नियुक्ति पर, शासन द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के मुहर के अधीन जारी प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा और यह ऐसे प्ररूप में होगा, जैसा कि शासन, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, विहित करे।
- (2) तदनुसार, ऐसे व्यक्ति के पास इस अधिनियम या इनके अधीन बनाये गये नियम और जारी आदेशों के अंतर्गत यथा न्यस्त शक्तियाँ, कार्य और विशेषाधिकार होंगे।
- (3) प्रमाण पत्र, शून्य और प्रभावहीन हो जायेंगे यदि नामित व्यक्ति अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा छोड़ देता है अथवा वे उस अवधि के दौरान अकर्मण्य बने रहते हैं जब ऐसे व्यक्ति को अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा से निलंबित किया गया हो।
- अग्निशमन अधिकारी निलंबन प्रभाव. के का
11. किसी अग्निशमन अधिकारी में निहित शक्तियाँ, कार्य और विशेषाधिकार निलंबित रहेंगे, जब तक ऐसे अग्निशमन अधिकारी कार्यालय से निलंबनाधीन रहते हैं:
- परंतु यह कि निलंबन के होते हुये भी, ऐसा व्यक्ति, अग्निशमन अधिकारी बना रहना नहीं छोड़ेगा और उसी प्राधिकारी के नियंत्रण के अध्यधीन बना रहेगा, जिनके अधीन वह बना रहता यदि उसे निलंबनाधीन नहीं किया गया होता।
- महानिदेशक की सामान्य शक्तियाँ.
12. महानिदेशक, शासन के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहेंगे तथा अग्निशमन उपकरण, मशीनरी और उपकरणों, प्रशिक्षण, व्यक्तियों और घटनाओं, आपसी संबंधों का पर्यवेक्षण, कर्तव्यों का संवितरण, कानूनों, आदेशों और कार्यवाहियों की पद्धतियों के अध्ययन के सभी मामलों और कार्यकारी विवरण या कर्तव्यों का निर्वहन और राज्य के नियमों के अनुसार अपने अधीन अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के अग्निशमन अधिकारियों और सदस्यों में अनुशासन के अनुरक्षण के सभी मामलों में निर्देशित और विनियमित करेंगे। महानिदेशक, विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करेंगे। और उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसी शक्तियों का प्रयोग एवं ऐसे कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करेगा, जैसा कि इस अधिनियम अथवा विहित नियमों के प्रावधानों के द्वारा या इसके अंतर्गत उसको प्रदत्त, अधिरोपित या आबंटित किया जाए।
- अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा में स्वयंसेवकों की भूमिका.
13. (1) अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा में लोक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के क्रम में, महानिदेशक ऐसे क्षेत्रों एवं ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाए, के लिये स्वयंसेवकों को नामांकित कर सकेगा।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन नामांकित प्रत्येक सदस्य,—
- (एक) विहित प्ररूप में प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा;
- (दो) में सेवा के सदस्यों के सभी या कोई शक्ति, कृत्य एवं विशेषाधिकार निहित होंगे, जैसा कि विशेष रूप से प्रमाण पत्र में उल्लिखित हो; तथा
- (तीन) महानिदेशक या उसके द्वारा नामांकित अधिकारी के अध्यधीन होंगे।
- (3) कोई संगठन, संस्थान, प्राधिकरण, अभिकरण या निकाय, जैसा कि शासन द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, स्वयंसेवकों के समूह का सृजन करेंगे, जो आपातकाल में परिचालित रहेंगे।
- (4) स्वयंसेवकों को अग्निशमन एवं आपातकालीन केन्द्र द्वारा प्रशिक्षित किया जायेगा:
- परंतु यह कि स्वयंसेवकों की संख्या, उनका प्रशिक्षण एवं उपकरण ऐसी होंगी, जैसा कि शासन के अनुमोदन से महानिदेशक द्वारा विहित किया जाए:

परंतु यह और कि स्वयंसेवकों को उनके संबंधित संगठनों द्वारा सुसज्जित किये जायेंगे।

### अध्याय-तीन अग्नि निवारण और स्व-नियमन

14. (1) शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी श्रेणी के परिसरों या भवनों या अधिवासों और पण्डालों, जो उसकी राय में, आग के जोखिम का कारण हो सकता है, की घोषणा कर सकेगा।
- (2) शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा के उपायों, जैसा कि विहित किया जाये, के लिए, उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचित परिसरों या भवनों या पण्डालों को स्थापित करने वालों के मालिकों या कब्जाधारियों या दोनों को अपेक्षित कर सकेगा।
15. (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पण्डालों के निर्माणकर्ता को धारा 14 की उप-धारा (2) के अधीन विहित अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपाय करने के लिए स्व-विनियामक समझा जाएगा।
- (2) पण्डाल के निर्माणकर्ता, विहित प्ररूप में अपने हस्ताक्षर के साथ इस आशय का एक घोषणा पण्डाल के किसी सहजदृश्य स्थान में, प्रदर्शित करेगा कि उसने अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा के सभी विहित मापदण्डों का पालन किया है।
- (3) महानदेशक, नामांकित प्राधिकारी अथवा कोई अन्य अधिकारी, जो शासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत हो, के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि उप-धारा (2) के अधीन निर्माणकर्ता द्वारा इस प्रकार किए गए घोषणा की सत्यता के सत्यापन करने की दृष्टि से, पण्डाल में प्रवेश करे और निरीक्षण करे और कमी, यदि कोई हो, तो उसे विनिर्दिष्ट समयावधि के भीतर दूर करने के लिये निर्देशित करे। यदि निरीक्षणकर्ता अधिकारी के निर्देशों का अनुपालन, दिए गए समयावधि के भीतर नहीं किया जाता है तो निरीक्षणकर्ता अधिकारी, पण्डाल को सील कर देंगे।
- (4) पण्डाल का कोई निर्माणकर्ता, जो मिथ्या घोषणा करता है कि उसने पण्डाल में विहित अग्नि रोकथाम एवं अग्नि सुरक्षा उपायों का पालन किया है तो उसके द्वारा इस अधिनियम की धारा 50 के अधीन दण्डनीय अपराध कारित किया गया समझा जायेगा।
16. (1) जहां धारा 14 के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई है, वहाँ महानदेशक या शासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के किसी भी अधिकारी के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि अग्नि के जोखिम का कारण बनने वाले या अग्निशमन के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले किसी भी प्रकार की वस्तु या कब्जे को सुरक्षित स्थान में, हटाने हेतु निर्देशित करे और यदि ऐसा करने में कोई स्वामी, कब्जाधारी या निर्माणकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, असफल रहता है तो महानदेशक या ऐसा अधिकारी, अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्, मामले के अधिनिर्णय करने हेतु अनुरोध करते हुए, मामले की रिपोर्ट, अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, जिनके क्षेत्राधिकार में उक्त परिसर या भवन या पण्डाल स्थित है, के समक्ष कर सकेगा:

निवारक उपाय.

पण्डालों में अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपाय स्व-नियमित होंगे.

अग्नि का जोखिम का कारण बनने या अग्निभामन के रास्ते में कोई बाधा उत्पन्न करने वाले अवैध कब्जा, वस्तु या सामान को हटाना.

परंतु यह कि जहां महानदेशक या प्राधिकृत अधिकारी, इस प्रकार के कब्जा या वस्तुओं या सामानों को अग्नि की जोखिम का एक आसन्न कारण या अग्निशमन के मार्ग में बाधक समझता है तो वह इस प्रकार के परिसरों या भवनों के स्वामी या कब्जाधारियों या निर्माता को इस प्रकार के अवैध कब्जे या वस्तुओं या सामानों को हटाने के लिए निर्देशित कर सकेगा और तदनुसार अनुविभागीय मजिस्ट्रेट को मामले की रिपोर्ट कर सकेगा।

- (2) उप-धारा (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, ऐसी रीति में, जैसा कि वह उचित समझे, एक नोटिस तामिल कर, अग्नि के जोखिम के संभावित कारण वाले या अग्निशमन के प्रति बाधा उत्पन्न करने वाले कब्जे या वस्तु या सामान को हटाने हेतु कारण दर्शाते हुए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेंगे।
- (3) स्वामी या कब्जाधारी या निर्माणकर्ता, जैसी भी स्थिति हो, को उप-धारा (2) के अधीन अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के उपरांत अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, इस प्रकार के कब्जे को हटाने या वस्तुओं या सामानों को जब्त करने, निरुद्ध करने या हटाने के लिए आदेश जारी कर सकेगा।
- (4) उप-धारा (3) के अधीन यथा जारी आदेश के निष्पादन के लिए प्रभारित व्यक्ति, उन वस्तुओं और सामानों की सूची तत्काल तैयार करेगा जिन्हें वह इस प्रकार के आदेश के अधीन जब्त करता है और साथ ही इस संबंध में यथा विहित लिखित नोटिस भी संबंधित व्यक्ति को जब्ती के समय देंगे जिसमें यह उल्लिखित होगा कि यदि उक्त नोटिस में नियत समयावधि के भीतर उक्त जब्त वस्तुओं या सामानों का दावा नहीं किया जाता तो इन्हें बेच दिया जाएगा।
- (5) उप-धारा (4) के अधीन दिये गये नोटिस के अनुवर्त में जब्त वस्तुओं का दावा करने हेतु उस व्यक्ति के असफल रहने पर, जिसके कब्जे में वस्तुओं या सामानों का कब्जा जब्ती के समय था, अनुविभागीय मजिस्ट्रेट, सार्वजनिक नीलामी द्वारा उन्हें बेच देंगे।
- (6) कोई व्यक्ति, जो अनुविभागीय मजिस्ट्रेट के किसी नोटिस या आदेश से व्यथित हैं, इस प्रकार के आदेश प्राप्ति की तिथि से तीस दिनों के भीतर, जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा नामांकित अपर जिला मजिस्ट्रेट को अपील कर सकते हैं।
- (7) उप-धारा (6) के अधीन अपील, ऐसे प्ररूप और ऐसे शुल्क, जैसा कि विहित किया जाए, के साथ किया जायेगा और नोटिस या आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है, की एक प्रति संलग्न कर प्रस्तुत किया जायेगा।
- (8) उप-धारा (7) के अधीन की गई अपील में पारित आदेश, अंतिम होगा।

अग्नि और/या बचाव के अवसर पर अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के सदस्यों की शक्तियाँ।

17.

किसी भी क्षेत्र, जहाँ यह अधिनियम प्रवृत्त है, में अग्नि से बचाव के अवसर पर, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के कोई भी सदस्य, जो उक्त स्थल पर अग्निशमन परिचालनों के प्रभारी हैं,—

- (एक) ऐसे व्यक्ति, जो अग्निशमन के परिचालन में अथवा किसी की जीवन या किसी संपत्ति की सुरक्षा में अपनी उपस्थिति द्वारा व्यवधान या बाधा उत्पन्न करता हो, को अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का कोई भी सदस्य हटा सकते हैं अथवा हटाने हेतु आदेशित कर सकते हैं, :
- (दो) किसी भी सड़क या पहुँच मार्ग को, जहाँ आग लगी हो और/या बचाव कार्य प्रगति पर हो, बंद कर सकते हैं।
- (तीन) अग्निशमन कार्य करने और बचाव कार्य निष्पादित करने के प्रयोजन से, किसी भी परिसर को पाइप या उपकरणों को पहुँचाने के लिए, किसी भी तरह से, तोड़फोड़ कर सकते हैं, ऐसा करने से यथासंभव कुछ नुकसान हो सकता है।
- (चार) जल साधनों से उस क्षेत्र में जल आपूर्ति से संबंधित प्रभारी प्राधिकारी को अपेक्षित कर सकते हैं ताकि उस स्थान, जहाँ आग लगी हो, में समुचित दाब के साथ जलापूर्ति प्रदाय हो सके तथा ऐसे आग को बुझाने या आग के विस्तार को रोकने एवं बचाव कार्य कियाचित करने के प्रयोजन के लिए, शासकीय या निजी रूप से उपलब्ध जल

प्रवाह मार्ग, कुआँ, तालाब या टैंक या जल के किसी अन्य उपलब्ध स्रोत के जल का उपयोग कर सकते हैं;

- (पांच) अग्निशमन के कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले लोगों की भीड़ को हटाने के लिए, किसी संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के रूप में उनकी शक्तियों के समान ही शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और यह विचार कर सकते हैं कि इस प्रकार की भीड़ गैर-कानूनी है और वे वही प्रतिरक्षा और सुरक्षा के हकदार होंगे जैसा कि ऐसी शक्तियों के प्रयोग के संबंध में किसी संबंधित अधिकारी को होता;
- (छः) ऐसा व्यक्ति, जो अग्निशमन और बचाव कार्यों में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के कार्मिकों को जानबूझकर अवरोध या बाधा उत्पन्न करते हों, को गिरफ्तार कर सकते हैं और उसे, अविलंब पुलिस अधिकारी को या नजदीकी पुलिस स्टेशन में, इस संक्षिप्त नोट के साथ जिसमें उसका नाम, तारीख, गिरफ्तारी के कारण का उल्लेख हो, सौंप देंगे।
- (सात) सामान्यतः ऐसे उपाय भी कर सकते हैं, जैसा कि अग्निशमन या जीवन या संपत्ति की सुरक्षा या दोनों के लिए उसको आवश्यक प्रतीत हो।

18. अधिवासों/भवनों/परिसरों के प्रत्येक स्वामी और कब्जाधारी या ऐसे स्वामियों या कब्जाधारियों के कोई भी संगठन, जैसा कि शासन द्वारा विहित हो, ऐसी संख्या में अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति करेंगे, जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों में यथा उपबंधित अग्नि के रोकथाम तथा अग्नि सुरक्षा के सभी उपायों का अनुपालन और इनका प्रभावी रूप से परिचालन सुनिश्चित करेंगे।

अग्नि सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति।

19. (1) यदि कोई स्वामी या कब्जाधारी अथवा किसी भवन या परिसरों के स्वामियों और कब्जाधारियों का कोई संघ, धारा 18 के अधीन महानिदेशक या नामांकित प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा इस संबंध में दिए गए नोटिस की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर, अग्नि सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करने में असफल रहते हैं, तो इनमें से प्रत्येक के द्वारा, संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक रूप से व्यतिक्रम किया गया समझा जाएगा।

अग्नि सुरक्षा अधिकारी के व्यतिक्रम या गैर-नियुक्ति के मामले में शास्ति।

(2) जब कोई व्यक्ति, जो अग्नि सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति के लिए उत्तरदायी है, व्यतिक्रमी समझा जाता है तो इस प्रकार की राशि, जो उसके स्वामित्व/कब्जे के क्षेत्रफल के दस रूपये प्रति वर्गमीटर से कम न हो और पचास रूपये प्रति वर्गमीटर से अधिक न हो जिसमें परिसर का सामान्य क्षेत्रफल सम्मिलित है, जैसा कि महानिदेशक द्वारा निर्धारित किया जाये, शास्ति के रूप में व्यतिक्रम के प्रत्येक माह के लिए या उसके भाग के रूप में उससे वसूल किया जा सकेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन शास्ति के रूप में देय राशि को भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जाएगा।

20. (1) राष्ट्रीय भवन संहिता, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय दिशा-निर्देश, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (1934 का 30) एवं नियमावली, भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) एवं अग्नि रोकथाम से संबंधित भारत की नियमावली के अधीन बनाए गए किसी विधि या नियमों या उप-विधियों के प्रावधानों के होते हुए भी, किसी भवन/खतरनाक स्थापना या ऐसे किसी भवन/स्थापना के किसी भाग के स्वामी या कब्जाधारी, ऐसे भवन या उसके भाग में अग्नि रोकथाम उपाय के साथ इस प्रकार के भवनों में धारा 14 की उप-धारा (2) के अधीन यथा विहित न्यूनतम अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था करेंगे तथा स्वामी या कब्जाधारी, नियमानुसार, सही स्थिति में, सभी समयों में, अग्नि रोकथाम प्रणाली का अनुरक्षण करेंगे।

अग्नि रोकथाम उपायों के प्रदाय हेतु मालिक या कब्जाधारी का दायित्व।



- (2) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई प्राधिकारी, किसी भवन या इसके किसी भाग के निर्माण योजना की मंजूरी देने तथा इसकी पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सशक्त नहीं होंगे, और न ही इसकी पूर्णता या इसके किसी भाग की पूर्णता संबंधी पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करेंगे जब तक कि संतुष्ट न हो जाए कि स्वामी ने धारा 14 की उप-धारा (2) के अधीन विहित उपायों का अनुपालन किया है।
- (3) धारा 14 की उप-धारा (2) के अधीन अधिसूचित परिसरों या भवनों के स्वामी या कब्जाधारी, जैसी भी स्थिति हो, ऐसे प्ररूप और प्रक्रिया, जैसा कि शासन द्वारा यथा अधिसूचित किया जाये, में यथा विहित उपायों के अनुपालन के संबंध में प्रमाण पत्र, महानिदेशक या नामांकित अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।
- (4) कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के किसी भवन या इसके किसी भाग में स्थापित अग्नि रोकथाम एवं जीवन सुरक्षा उपकरण के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, परिवर्तित नहीं करेगा, नहीं हटायेगा अथवा इन्हें क्षति या नुकसान नहीं पहुँचायेगा अथवा किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा।
- (5) जहाँ इस प्रकार की अधिसूचना, धारा 14 की उप-धारा (2) के अधीन जारी की गई है, वहाँ महानिदेशक या नामांकित अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा कि ऐसे वस्तुओं या सामानों, जो अग्नि की जोखिम के लिए कारक हो सकते हैं, को किसी सुरक्षित स्थानों में हटाने के लिए, निर्देशित करे और ऐसा करने में स्वामी या कब्जाधारी द्वारा असफल रहने की स्थिति में, अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के बाद, महानिदेशक या अग्निशमन अधिकारी, ऐसे किसी वस्तुओं या सामानों को जब्त करने, निरूद्ध करने या हटाने हेतु निर्देशित कर सकते हैं।
- (6) महानिदेशक या नामांकित अधिकारी, अग्निशमन अभियान में अपने कर्तव्यों या आग के जोखिम में जुड़े किसी भी सामान को जब्त करने, निरूद्ध करने या हटाने के किसी भी अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करते समय, पुलिस या पुलिस बल के सदस्यों की सहायता अपेक्षित कर सकेगा, ऐसे कर्तव्य के निर्वहन में सहायक के रूप में, पुलिस अधिकारी की सभी श्रेणियों या ऐसे सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निष्पादन में महानिदेशक या ऐसे अग्निशमन अधिकारी की सहायता करे।

#### अध्याय-चार

#### अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का नियंत्रण और अनुशासन

21. उत्तरों, प्रतिवेदनों, विवरणों आदि का मंगाया जाना. शासन, अग्नि की रोकथाम और अग्नि सुरक्षा से संबंधित किसी भी विषय पर उत्तरों, प्रतिवेदनों और विवरणों की मांग कर सकता है अथवा आदेश के अनुरक्षण और महानिदेशक, अग्निशमन अधिकारियों, परिचालित सदस्यों, सदस्यों और अधीनस्थ परिचालित कर्मचारी द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन की प्रतिवेदन की मांग कर सकता है और ऐसी प्रतिवेदन, तत्काल प्रस्तुत की जायेगा।
22. अग्निशमन अधिकारियों को हमेशा कर्तव्य पर समझा जाएगा और वे राज्य के किसी भी भाग में नियुक्त किये जाने हेतु बाध्य होंगे. इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों के लिए प्रत्येक अग्निशमन अधिकारी को, हमेशा कर्तव्य पर समझा जाएगा और राज्य के किसी भी भाग में कर्तव्य हेतु आबंटित किये गये किसी भी अग्निशमन अधिकारी या किसी सदस्य या अग्निशमन अधिकारियों के दल को, यदि महानिदेशक इस प्रकार निर्देशित करे, तो किसी भी समय, राज्य के किसी भी भाग में कर्तव्य पर उतने समय तक नियोजित किया जा सकता है जितने समय तक अग्निशमन अधिकारी या किसी सदस्य या अग्निशमन अधिकारी दल की सेवाएं, राज्य के ऐसे अन्य भाग में अपेक्षित किया जाये।
23. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा को समाज के लिए आवश्यक सेवा घोषित करना. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा को समाज के लिए आवश्यक सेवा, ऐसी कालावधि के लिये, जैसा कि अधिसूचित किया जाये, घोषित कर सकता है।

24. किसी भी प्रकार की कार्रवाई, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किया जा सकता है, के होते हुए भी अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का प्रत्येक सदस्य जो,—

- (एक) कर्तव्य के किसी उल्लंघन का या इस अधिनियम के किसी प्रावधान का या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या जारी आदेश का जानबूझकर उल्लंघन का दोषी पाया जाता है; अथवा
- (दो) कायरता का दोषी पाया जाता है; अथवा
- (तीन) पंद्रह या अधिक दिनों से किसी अनुमति या पूर्व नोटिस दिए बिना अपने पदीय कर्तव्य से अनुपस्थित या गायब रहता है; अथवा
- (चार) अवकाश पर अनुपस्थित रहता है जो ऐसे अवकाश के समापन के बाद भी कर्तव्य पर किसी समुचित कारण के बिना, रिपोर्ट करने में विफल रहता है; अथवा
- (पांच) नियमों के प्रावधान के उल्लंघन में, किसी अन्य नियोजन या कार्यालय में, अपने कारोबार में संलिप्त होना स्वीकार करता है; तो किसी विभागीय प्रशासनिक कार्रवाई के अलावा, वह ऐसे कारावास से जो तीन माह तक का हो सकेगा अथवा जुर्माने से जो ऐसी राशि तक हो सकेगा जो ऐसे सदस्य के तीन माह के वेतन से अधिक न हो अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा।

कर्तव्य के उल्लंघन के लिए शास्ति.

25. (1) शासन या विहित प्राधिकारी से लिखित में पूर्व मंजूरी के बिना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के कोई भी सदस्य,—

- (एक) किसी भी प्रकार से किसी भी यूनियन, श्रम यूनियन, राजनैतिक संगठन या ट्रेड यूनियन, श्रम यूनियन या राजनैतिक संगठन के किसी भी वर्ग के न तो वे सदस्य बनेंगे और न ही इनसे जुड़ेंगे;
- (दो) किसी भी सामाजिक संस्थान, संघ या संगठन के न तो सदस्य बनेंगे और न ही इनसे जुड़ेंगे, जो अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा का कोई मान्यता प्राप्त भाग नहीं है अथवा विशुद्ध रूप से सामाजिक, तकनीकी, मनोरंजन या धार्मिक प्रकृति का नहीं है; अथवा
- (तीन) किसी भी प्रेस से सीधा संपर्क नहीं करेंगे या जहाँ ऐसा संसूचना या प्रकाशन, उनके कर्तव्य के सद्भावनापूर्ण निर्वहन में है या विशुद्ध रूप से साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिकी प्रकृति का है, को छोड़कर, कोई पुस्तक, पत्र या अन्य दस्तावेज का प्रकाशन नहीं करेंगे या प्रकाशन नहीं करवायेंगे।

किसी संगठन को सृजित करने के अधिकार संबंधी प्रतिबंध.

**स्पष्टीकरण** :—यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या इस उप-धारा के खण्ड (दो) के अधीन यदि कोई सोसायटी, संस्था, एसोसिएशन अथवा संगठन पूर्णतः सामाजिक, तकनीकी, मनोरंजन या धार्मिक प्रकृति का है तो इस पर शासन का निर्णय अंतिम होगा।

(2) अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के कोई भी सदस्य, राजनैतिक उद्देश्यों के लिए किसी संस्था या व्यक्ति द्वारा गठित या यथा विहित अन्य प्रयोजनों के लिए गठित किसी भी संगठन में न तो वे भाग लेंगे और न ही इनमें संबोधित करेंगे और न ही इनके किसी बैठक में या प्रदर्शन में सम्मिलित होंगे।

**अध्याय – पाँच**  
**अग्निशमन कर, शुल्क और अन्य प्रभारों का उद्ग्रहण**

- अग्निशमन कर का उद्ग्रहण. 26. शासन, उन भूमि और भवनों पर (जो वार्षिक संपत्ति कर के 10 प्रतिशत से अधिक न हो) अग्निशमन कर उद्ग्रहित कर सकता है जमे ऐसे किसी क्षेत्र में स्थित है जहाँ यह अधिनियम प्रवृत्त है और जिस पर उस क्षेत्र में किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा संपत्ति कर, चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो, उद्ग्रहित करता है तथा यह विहित अनुसार उद्ग्रहीत एवं संग्रहित की जायेगी।
- अग्निशमन कर का निर्धारण, संग्रहण आदि की रीति. 27. (1) ऐसे कर के उद्ग्रहण हेतु उस क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकरण को प्राधिकृत करने वाले विधि के अधीन संपत्ति कर का निर्धारण, संग्रहण और भुगतान प्रवर्तन के लिए सशक्त प्राधिकारी, शासन की ओर से और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए किन्हीं भी नियमों के अध्यक्ष रहते हुए, अग्निशमन कर का निर्धारण, संग्रहण और भुगतान प्रवर्तन उसी रीति में करेंगे जिस प्रकार संपत्ति कर का निर्धारण, भुगतान और संग्रहण किया जाता है और वे इस प्रयोजन हेतु विवरणी, अपील, समीक्षा, निर्देश से संबंधित प्रावधानों सहित इस प्रकार के विधि के प्रावधानों और पूर्वोक्त विधि के अधीन उन्हें प्रदत्त सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।  
(2) इस अधिनियम के अधीन संग्रहित अग्निशमन कर की कुल प्राप्तियों का, शासन को ऐसी रीति में एवं ऐसे अंतरालों में जैसा कि विहित किया जाए, भुगतान किया जाएगा।
- निधि का गठन. 28. (1) "अग्नि निवारण एवं जीवन सुरक्षा निधि" के नाम से निधि का गठन किया जाएगा।  
(2) इस अधिनियम के अधीन वसूल की गई, जुर्माना को छोड़कर, अग्निशमन शुल्कों, प्रभारों और शारितियों, की प्राप्ति को इस निधि में जमा किया जाएगा।  
(3) इस निधि के परिचालन के लिए शासन द्वारा नियमों की विरचना की जायेगी।  
(4) अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के द्वारा प्रदाय की जाने वाली सेवा के लिए, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने, अग्निशमन अंकेक्षण सम्पादित करने एवं अन्य अग्निशमन सेवा के लिए शुल्क, ऐसी रीति में प्रभारित की जायेगी, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाये और तदनुसार इस निधि में जमा किया जायेगा।
- राज्य की सीमाओं के बाहर अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के परि - नियोजन पर शुल्क. 29. (1) जहाँ किसी राज्य शासन या स्थानीय निकाय या अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा प्राधिकारी के अनुरोध पर, पड़ोसी की सीमाओं में आग बुझाने के उद्देश्य से, किसी क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त है, की सीमाओं के बाहर, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के सदस्यों को बाहर भेजा जाता है, तो वे ऐसे शुल्क भुगतान करने हेतु दायी होंगे, जैसा कि शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय विहित किया जाये।  
(2) उप-धारा (1) में यथा निर्दिष्ट शुल्क का भुगतान, महानिदेशक या राज्य शासन या स्थानीय निकाय या अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा मांग की नोटिस तामील होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर देय होगा और यदि उक्त अवधि के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है तो भू-राजस्व के बकाये के रूप में वसूल किया जाएगा।

30. शासन की पूर्व मंजूरी से महानिदेशक, जनहित में पारस्परिक आधार पर सहमति के द्वारा या इसके अधीन यथा उपबंधित शर्तों पर अग्निशमन के उद्देश्यों के लिए कर्मियों या उपकरणों या दोनों के प्रदाय हेतु किसी क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त है, की सीमाओं के बाहर उक्त अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा अनुरक्षित करने वाले किसी भी अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा या प्राधिकरण के साथ किसी भी करार में शामिल हो सकते हैं।
- अन्य अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के साथ पारस्परिक अग्निशमन व्यवस्थाएँ.
31. शासन की पूर्व मंजूरी के साथ महानिदेशक, ऐसे किसी भी व्यक्ति या संगठन के साथ व्यवस्थाओं के लिए, जो अग्निशमन के उद्देश्यों हेतु, सुरक्षा के लिए, कार्मिकों या उपकरणों या दोनों को नियोजित करते हैं तथा अनुरक्षित करते हैं, भुगतान या अन्यथा के संबंध में ऐसी शर्तों पर, जो कि किसी क्षेत्र, जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त है, में घटित होने वाले अग्नि के निपटारे के प्रयोजन के लिए सहायता हेतु उस व्यक्ति या संगठन द्वारा व्यवस्थाओं एवं प्रावधानों के द्वारा या इसके अधीन उपबंधित किया जाए, सहमत हो सकते हैं।
- सहायता हेतु व्यवस्थाओं में सम्मिलित होने हेतु महानिदेशक की शक्तियाँ.
32. शासन या शासन के स्वामित्व के किसी प्राधिकरण के नियंत्रण या कब्जे में या उसके अधीन निहित किसी भवन पर कोई शुल्क उद्ग्रहित नहीं किया जायेगा।
- शासकीय भवनों के लिए कर में छूट.

#### अध्याय-छः

#### राज्य में कतिपय भवनों और परिसरों में अग्नि रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपायों के लिए विशेष प्रावधान

33. (1) महानिदेशक या नामांकित अधिकारी, रहवासियों, जन सदस्यों और कामगारों की जीवन को खतरे में डालने वाली अग्नि की रोकथाम और जीवन सुरक्षा उपायों की अपर्याप्तता के संबंध में समाचार पत्र के वृत्तांतों सहित किसी भी स्रोत से जानकारी की प्राप्ति पर, किसी भी भवन का निरीक्षण करेंगे। ऐसे निरीक्षण के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि विहित अग्नि सुरक्षा या जीवन सुरक्षा उपायों की अपर्याप्तता है तो महानिदेशक या नामांकित अधिकारी, उनके व्यवसाय/व्यापार के अनुज्ञप्ति/पंजीकरण को निरस्त करने के लिए समुचित प्राधिकारी को अनुशंसा कर सकेंगे।
- निरीक्षण हेतु प्रवेश की शक्ति एवं अनुज्ञप्तियों के निरस्तीकरण हेतु अनुशंसा.
- (2) महानिदेशक या नामांकित अधिकारी को, उप-धारा (1) के अधीन निरीक्षण करने हेतु ऐसे किसी स्थान या भवन या इसके किसी भाग के किसी स्वामी या कब्जाधारी, जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा सभी संभव सहायता प्रदान की जाएगी।
- (3) स्वामी या कब्जाधारी या सशक्त कोई अन्य व्यक्ति, इस धारा के अधीन किसी भी सशक्त या प्राधिकृत व्यक्ति को किसी भूमि या भवन में प्रवेश के लिए बाधा उत्पन्न नहीं करेगा या कोई बाधा उत्पन्न नहीं करायेगा।
- (4) जहां निरीक्षण, इस धारा के पूर्ववर्ती प्रावधानों के अधीन नामांकित अधिकारी द्वारा किया जा रहा है तो वह अपने वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी को इस प्रकार की निरीक्षण की रिपोर्ट देगा।
- (5) नामांकित अधिकारी, उप-धारा (4) के अधीन किसी स्थान या भवन या इसके किसी भाग के निरीक्षण पूरा होने के बाद, भवन की ऊँचाई अथवा इस प्रकार के स्थान या भवन या इसके भाग में क्रियान्वित गतिविधियों की प्रकृति के संदर्भ में प्रदत्त या प्रदत्त किये जाने वाले अग्नि रोकथाम एवं जीवन सुरक्षा उपायों संबंधी आवश्यकता या अपर्याप्तता या इस प्रकार के उपायों के गैर अनुपालन से अतिक्रम या उल्लंघन करने संबंधी अपना विचार अभिलिखित करेंगे तथा इस प्रकार के भवन या इसके किसी भाग के स्वामी या कब्जाधारी को, ऐसे उपाय, ऐसे समय के भीतर, जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए, करने हेतु उसको निर्देशित करते हुए नोटिस जारी करेंगे।

- अपील. 34. (1) इस अध्याय के अधीन नामांकित प्राधिकारी के जारी या निर्मित नोटिस या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे नोटिस या आदेश जिसके विरुद्ध अपील किया जाना है, की प्राप्ति की तिथि से तीस दिवस के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष ऐसे नोटिस या आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा:
- परंतु यह कि अपीलीय प्राधिकारी, उक्त तीस दिनों की अवधि के अवसान के बाद भी ऐसे अपील को ग्रहण कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि उक्त अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत न करने का प्रत्याप्त कारण था।
- (2) अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील, ऐसे प्ररूप में प्रस्तुत की जायेगी तथा नोटिस या आदेश जिसके विरुद्ध अपील किया जाना है की प्रतिलिपि, ऐसे शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जायेगा, जैसा कि शासन द्वारा विहित किया जाए।
- (3) उप-धारा (1) के अधीन अपील किये जाने पर, अपीलीय प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा।
- धारा 33 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए शास्ति. 35. जो कोई भी, इस अध्याय के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है तो इस अधिनियम और इसके अधीन निर्मित किसी नियम के अधीन उसके विरुद्ध की गई किसी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह ऐसे कारावास, जिसकी अवधि छः माह तक की हो सकेगी या जुर्माने, जो पचास हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से तथा जहां अपराध, जारी रखा जाता है तो अतिरिक्त जुर्माने, जो प्रथम अपराध के उपरान्त ऐसा अपराध जारी रहने पर प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।

### अध्याय-सात विविध

- अन्य क्षेत्र में तैनाती. 36. महानिदेशक अथवा शासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अग्निशमन अधिकारी, किसी पड़ोसी क्षेत्र में अग्नि या अन्य आपातकालीन स्थिति के अवसर पर, जहाँ यह अधिनियम लागू नहीं है, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के सदस्यों को आवश्यक उपयंत्रों और उपकरणों के साथ ऐसे पड़ोसी क्षेत्र में अग्निशमन कार्यों को निष्पादित करने के लिए तैनात करने हेतु आदेशित कर सकते हैं तथा तदनुसार, इस अधिनियम और इसके अधीन निर्मित नियमों के सभी प्रावधान, अग्नि एवं आपात की अवधि के दौरान या महानिदेशक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान ऐसे क्षेत्रों को ऐसे प्रभारों पर लागू होंगे, जैसा कि समय-समय पर विहित किया जाए।
- अन्य कर्तव्य पर नियोजन. 37. शासन अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा को किसी अन्य बचाव कार्य, संपत्ति के रक्षण या अन्य कार्य, जो प्रशिक्षण, उपयंत्र और उपकरण के कारण उपयुक्त है, में नियोजित करे।
- क्षतिपूर्ति के हेतु के स्वामी देयता. सूचना करने शक्ति. 38. कोई व्यक्ति, जिसकी संपत्ति में स्वयं के कार्य के परिणामस्वरूप या उसके किसी अभिकर्ता द्वारा जानबूझकर या लापरवाहीपूर्वक किये गये कृत्य के कारण आग लग जाती है, उनके सम्पत्ति को हुये नुकसान से पीड़ित किसी अन्य व्यक्ति को क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए दायी होगा।
39. महानिदेशक या कोई नामांकित प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्य के निर्वहन के उद्देश्य से, यथा विनिर्दिष्ट किसी भवन या अन्य संपत्ति के स्वामी या कब्जाधारी को, ऐसे भवन या अन्य संपत्ति, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए, के विवरण, उपलब्ध जल आपूर्ति और पहुँच के साधन और किन्हीं अन्य आवश्यक विवरणों के संबंध में जानकारी प्रदान करने हेतु अपेक्षित कर सकते हैं और ऐसे स्वामी या कब्जाधारी, अपने पास उपलब्ध सभी जानकारी प्रस्तुत करेंगे।

40. (1) नामांकित प्राधिकारी अथवा सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अग्निशमन अधिकारी, अग्नि के विरुद्ध आवश्यक निवारक एवं सुरक्षा उपायों को ऐसे स्थान में अब तक अपनाया गया है अथवा नहीं इस बात को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, धारा 14 की उप-धारा (2) के अधीन जारी किसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी भी स्थान में, प्रवेश कर सकते हैं।
- (2) नामांकित प्राधिकारी या प्राधिकृत अग्निशमन अधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन किसी भवन या परिसर का निरीक्षण पूर्ण करने के बाद, इस प्रकार के भवन या परिसरों में क्रियान्वित गतिविधियों की प्रकृति अथवा भवन के कब्जे के संदर्भ में प्रदत्त अग्नि की रोकथाम और अग्नि सुरक्षा के उपायों और ऐसे उपायों की कमी (अपर्याप्तता) के संबंध में धारा 14 की उप-धारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना से अतिक्रम या इसके उल्लंघन पर अपना विचार अभिलिखित करेंगे और इस प्रकार के भवन या परिसर के स्वामी या कब्जाधारी को, ऐसे उपाय जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाए, करने हेतु उसको निर्देशित करते हुए नोटिस जारी करेंगे।
- (3) नामांकित प्राधिकारी, उप-धारा (1) के अधीन उसके द्वारा किये गये किसी निरीक्षण की रिपोर्ट संभागीय अग्निशमन अधिकारी को भी प्रस्तुत करेंगे।
- (4) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, उप-धारा (1) के अधीन किए गए किसी प्रवेश द्वारा आवश्यक रूप से कारित किसी प्रकार की नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई दावा नहीं होगा।
41. (1) जहां धारा 33 की उप-धारा (4) अथवा धारा 40 की उप-धारा (3) के अधीन नामांकित प्राधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या स्वयं के संज्ञान से, महानिदेशक को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भवन या परिसर की स्थिति, जीवन या संपत्ति के लिए खतरनाक है, तो महानिदेशक, इस अधिनियम के अधीन की गई किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, आदेश द्वारा, ऐसे भवनों या परिसरों से हटने हेतु ऐसे भवन या परिसरों के कब्जाधारी व्यक्ति को अपेक्षित करेंगे।
- (2) यदि उप-धारा (1) के अधीन महानिदेशक द्वारा जारी आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो महानिदेशक, ऐसे भवन या परिसर से ऐसे व्यक्तियों को हटाने हेतु उस क्षेत्र में अधिकारिता रखने वाले किसी पुलिस अधिकारी को निर्देशित करेंगे तथा ऐसा अधिकारी, ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा।
- (3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन व्यक्तियों को निकालने के बाद, जैसी भी स्थिति हो, महानिदेशक उक्त भवन या परिसरों को सील करेंगे।
- (4) महानिदेशक के द्वारा जारी आदेश के बिना, कोई भी व्यक्ति ऐसे सील को नहीं तोड़ेगा।
- (5) कोई भी व्यक्ति, जो महानिदेशक के द्वारा जारी आदेश के बिना, ऐसे सील को तोड़ता है तो वह कारावास जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी या जुर्माने जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।
- (6) इस धारा के अधीन महानिदेशक की शक्तियों का प्रयोग शासन द्वारा प्राधिकृत किसी भी अग्निशमन अधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।
42. अग्निशमन अधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि क्षेत्र में किसी भी स्रोत से जल आहरण करे जिसे वह अग्निशमन के परिचालनों के दौरान आवश्यक समझे और ऐसे अवसरों पर जैसा कि अपेक्षित किया जाए, इस प्रकार के जल स्रोत पर नियंत्रण रखने वाले प्राधिकारी या स्वामी या कब्जाधारी, इस प्रयोजन हेतु ऐसी दर पर जलापूर्ति करेंगे जैसा कि विहित किया जाए।
- प्रवेश की शक्ति.
- भवनों या परिसरों को सील करने की शक्ति.
- आपातकाल के दौरान जल की आपूर्ति.

- जल आपूर्ति में बाधा हेतु कोई प्रतिपूर्ति नहीं। 43. किसी भी क्षेत्र में जल आपूर्ति का कोई भी प्रभारी प्राधिकारी, धारा 17 के खण्ड (चार) में विनिर्दिष्ट आवश्यकता हेतु ऐसे प्राधिकारी के अनुदेश के अनुपालन में जल की आपूर्ति में किसी बाधा के कारण से हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति के किसी दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
- जल के लिए क्षतिपूर्ति। 44. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा द्वारा अग्निशमन के परिचालनों में उपयोग किये गये जल के लिए किसी भी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा कोई भी प्रभार नहीं दिया जाएगा।
- अग्निशमन संपत्ति की अध्यक्षता। 45. जहां महानिदेशक या नामांकित अधिकारी, जो किसी अग्निशमन या किसी आपातकालीन परिचालन का प्रभारी है, किसी अन्य प्राधिकारी या किसी संस्था या व्यक्ति के अग्निशमन संबंधी उपकरणों और उपयंत्रों या संपत्ति की अपेक्षा करता है तो वह, आदेश द्वारा, उस क्षेत्र में आग बुझाने या किसी अन्य आपातकालीन सेवाओं के प्रयोजन के लिए इस प्रकार के उपकरणों या संपत्ति की अध्यक्षता कर सकता है और उक्त प्राधिकारी या किसी संस्था या व्यक्ति, जैसी भी स्थिति हो, से उसका आधिपत्य ले सकता है।
- पुलिस अधिकारी और अन्य की सहायता लेना। 46. प्रत्येक पुलिस अधिकारी, शासन और निजी अभिकरण या व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उनकी सेवा या सहायता की युक्तियुक्त मांग की पूर्ति हेतु, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के सदस्यों को सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होंगे।
- सावधानी अपनाने में विफलता। 47. जो कोई भी, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, धारा 14 की उप-धारा (2) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो वह ऐसे जुर्माने जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या कारावास जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी या दोनों से तथा जहां अपराध जारी रखा जाता है तो अतिरिक्त जुर्माने जो प्रथम अपराध के उपरांत ऐसे अपराध के जारी रहने पर प्रति दिन के लिए पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।
- अग्निशमन एवं बचाव कार्यों में जानबूझकर बाधा उत्पन्न करने पर शास्ति। 48. कोई व्यक्ति, जो जानबूझकर अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के किसी सदस्य, जो अग्नि बचाव कार्य में संलग्न है, के साथ हस्तक्षेप करता है या बाधा उत्पन्न करता है, तो वह ऐसे कारावास जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी या जुर्माने जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डनीय होगा।
- झूठी रिपोर्ट। 49. कोई व्यक्ति, जो जानबूझकर किसी ऐसे व्यक्ति, जो इस प्रकार की रिपोर्ट कथन, संदेश या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है, को आग लगने की गलत सूचना या जानकारी देता है या जानकारी दिलाता है, तो वह ऐसे कारावास जो तीन माह तक का हो सकेगा या जुर्माने जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।
- अपराध हेतु दण्ड के लिए सामान्य प्रावधान। 50. जो कोई भी, इस अधिनियम के किसी प्रावधान या इसके अधीन निर्मित किसी नियम या अधिसूचना का उल्लंघन करता है तो इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित किसी नियम के अधीन, उनके विरुद्ध की गई किसी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह ऐसे कारावास जिसकी अवधि तीन माह तक की हो सकेगी या जुर्माने जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से तथा जहां अपराध जारी रखा जाता है तो अतिरिक्त जुर्माने जो प्रथम अपराध के उपरांत ऐसे अपराध के जारी रहने पर प्रतिदिन के लिए पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, से दण्डनीय होगा।
- अपराधों का प्रशमन। 51. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद, कारित कोई भी अपराध, जो इस अधिनियम की धारा 15, 20, 24, 35, 38, 41, 47, 48, 49 और 50 के अधीन अथवा इस अधिनियम के अधीन निर्मित किसी नियम के अधीन दण्डनीय हो, का प्रशमन, अभियोजन संस्थित करने के पूर्व या बाद में, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के ऐसे अधिकारियों द्वारा ऐसी राशि पर किया जा सकता है जैसा कि शासन, राजपत्र में

अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे:

परंतु यह कि ऐसे किसी भी अपराध का प्रशमन नहीं किया जायेगा जिसे शासन या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी की ओर से या उसके द्वारा जारी किसी नोटिस, आदेश या अध्यापेक्षा के अनुपालन में विफलता के द्वारा कारित हो, जब तक कि उसका ऐसा अनुपालन नहीं किया गया हो जहां तक अनुपालन किया जाना संभव होता।

- (2) जहां किसी अपराध का प्रशमन, उप-धारा (1) के अधीन किया गया है तो अपराधी को, यदि वह अभिरक्षा में है, निर्मुक्त किया जाएगा और इस प्रकार के अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

52. किसी अन्य विधि या अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिला न्यायालय से निम्न का कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन जारी किसी भी नोटिस या आदेश के संबंध में कोई भी वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाहियां ग्रहण नहीं करेगा और इस अधिनियम के अधीन अपील करने के अलावा ऐसे नोटिस या आदेश को प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।
53. कोई भी न्यायालय, महानिदेशक या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी से प्राप्त किसी शिकायत या सूचना को छोड़कर, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।
54. प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्न का कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।
55. कोई भी कार्य, जो इस अधिनियम या इसके अधीन निर्मित किसी नियम के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है या किये जाने हेतु आशयित है, के लिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।
56. इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कार्य करने वाले प्रत्येक अधिकारी को, भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।
57. जो कोई भी, इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करता है, वह इस अधिनियम एवं इसके अधीन निर्मित नियमों के अधीन विहित शास्तियों के लिए दायी होगा।
58. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो ऐसे अपराध के किये जाने के समय, उस कंपनी का भारसाधक था और साथ ही उस कंपनी और उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उत्तरदायी था, को ऐसे अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दण्डित किए जाने के लिये दायी होगा:

परन्तु इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात, किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का दायी नहीं बनाएगा, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता का पालन किया था।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया है या वह अपराध उसकी किसी उपेक्षा के कारण हुआ है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार वे अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने तथा दण्डित किए जाने के दायी होंगे।

**स्पष्टीकरण—** इस धारा के प्रयोजन के लिए—

न्यायालय के अधिकारिता का वर्जन .

अपराधों का संज्ञान.

क्षेत्राधिकार.

सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

अधिकारियों का लोक सेवक होना.

अपराध और शास्ति.

कंपनियों द्वारा अपराध.



एक. "कंपनी" से अभिप्रेत है कोई निगमित निकाय और इसमें कोई फर्म या व्यक्तियों के अन्य संगठन सम्मिलित है;

दो. किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" से अभिप्रेत है फर्म का भागीदार।

नियम बनाने की शक्ति. 59.

(1) शासन, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु नियम बना सकेगा।

(2) विशेषतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा नियम निम्नलिखित के लिए बनाये जा सकेंगे,—

एक. राज्य अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के सदस्यों की भर्ती वेतन, भत्ते तथा अन्य सभी सेवा शर्तों के लिए;

दो. धारा 9 के अधीन अग्निशमन जिलों के सदस्यों को सम्मिलित करते हुए अग्निशमन संभाग के गठन के लिए;

तीन. धारा 9 के अधीन अग्निशमन केन्द्रों की संख्या को सम्मिलित करते हुए अग्निशमन जिलों के गठन के लिए;

चार. धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन अग्निशमन अधिकारी के लिये प्रमाण पत्र के प्ररूप के लिए;

पांच. धारा 25 की उप-धारा (2) के अधीन बैठकों और प्रदर्शनों के प्रयोजन के लिए;

छः. धारा 27 के अधीन उद्ग्रहित अग्निशमन कर के निर्धारण, संग्रहण और भुगतान के प्रवर्तन की पद्धति के लिए;

सात. धारा 27 के अधीन यथा संग्रहित अग्निशमन कर का भुगतान शासन को करने की रीति के लिए;

आठ. धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन राज्य की सीमाओं से परे एवं धारा 36 के अधीन अन्य क्षेत्रों में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं की तैनाती पर शुल्क के लिए;

नौ. धारा 28 की उप-धारा (4) के अधीन अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं द्वारा प्रदत्त सेवाओं हेतु शुल्क के लिए;

दस. धारा 30 के अधीन अन्य अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के साथ पारस्परिक अग्निशमन व्यवस्थाओं हेतु शर्तों के लिए;

ग्यारह. धारा 14 की उप-धारा (2) के प्रयोजन हेतु अग्नि के रोकथाम और अग्नि सुरक्षा उपायों हेतु न्यूनतम मानकों के लिए;

बारह. धारा 15 की उप-धारा (2) अधीन घोषणा के प्ररूप के लिए;

तेरह. धारा 16 की उप-धारा (4) के अधीन नोटिस के प्ररूप के लिए;

चौदह. धारा 16 की उप-धारा (7) और धारा 34 की उप-धारा (2) के अधीन अपील और शुल्क के प्ररूप के लिए;

पन्द्रह. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के अधिकारीगण और धारा 51 की उप-धारा (1) के अधीन अपराधों के प्रशमन हेतु राशि के लिए;

सोलह. धारा 28 की उप-धारा (3) के अधीन अग्नि निवारण और जीवन सुरक्षा निधि के परिचालन हेतु नियमों के निर्माण के लिए;

सत्रह. अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के सदस्यों के

रहने और अग्निशमन के लिए प्रयोग हेतु उपकरणों को रखने के लिए अग्निशमन केन्द्रों के निर्माण या प्रदाय या स्थल किराए पर लेने के लिए;

**अठ्ठारह.** उन व्यक्तियों को पुरस्कृत करने के लिए, जिन्होंने आग की सूचना दी हो एवं आग लगने के अवसर पर अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के प्रति प्रभावी सेवा दी हो;

**उन्नीस.** अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के सदस्यों के प्रशिक्षण, अनुशासन और सदाचार के लिए;

**बीस.** महानिदेशक की शक्तियों, कर्तव्यों और कार्यों को विनियमित और नियंत्रित करने के लिए;

**इक्कीस.** अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा को दक्षता की स्थिति में लाने हेतु सामान्यतः अनुरक्षण के लिए;

**बाईस.** पण्डालों और शामियानों की स्थापना को विनियमित के लिए;

**तेईस.** अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा में प्रयुक्त किए जाने वाले उपयंत्रों, वस्त्रों (वर्दियों) और अन्य आवश्यक वस्तुओं सहित अग्निशमन एवं बचाव उपकरणों के विवरण और मात्रा निर्धारित करने के लिए;

**चौबीस.** नीतिगत प्रशासन से संबद्ध किसी भी प्रयोजन हेतु किसी भी अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा निधि की स्थापना, प्रबंधन और विनियमन के लिए;

**पच्चीस.** सभी श्रेणियों और पदकर्मों के अग्निशमन अधिकारियों के कर्तव्यों का निर्धारण करने और ऐसी रीति एवं शर्तें विहित करने के लिए जिसके अध्यक्षीन वे अपने संबंधित शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग और निर्वहन करेंगे;

**छब्बीस.** कोई अन्य कार्य जो नियमों द्वारा अपेक्षित हो या विहित किया जाए।

- (3) इस अधिनियम के अधीन शासन द्वारा निर्मित प्रत्येक नियम, यथाशीघ्र, राज्य विधानसभा के पटल पर, जब वह, कुल तीस दिवस की अवधि के लिए, सत्र में हो, जो एक ही सत्र में या दो या अधिक उत्तरवर्ती सत्रों में पूरी हो सकती हो, रखा जायेगा, और यदि उस सत्र या उत्तरवर्ती सत्र के ठीक आगामी सत्र के अवसान होने के पूर्व, विधानसभा, नियम में कोई उपांतरण करने हेतु सहमत होती है अथवा विधानसभा की सहमति हो कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् ऐसा नियम, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं रखेगा; तथापि ऐसा कोई उपांतरण या विलोपन, उस नियम के अधीन पूर्व में किए गए किसी कार्य की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

60. (1) शासन या महानिदेशक या कोई अग्निशमन अधिकारी, यह निर्देशित कर सकता है कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोग की जानी वाली कोई भी शक्ति का प्रयोग, शासन के किसी भी अधिकारी या महानिदेशक या किसी अग्निशमन अधिकारी के द्वारा, ऐसी शर्तों, यदि कोई हो, जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, के अध्यक्षीन रहते हुए, की जायेगी।

**शक्तियों का प्रत्यायोजन.**

- (2) महानिदेशक, आदेश द्वारा, यह निर्देशित कर सकता है कि इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन उसको प्रदत्त कोई शक्ति या उस पर अधिरोपित कोई कर्तव्य, ऐसी परिस्थितियों में एवं ऐसी शर्तों, यदि कोई हो, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, के अधीन अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा के किसी भी अधिकारी द्वारा, जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो, का प्रयोग एवं निर्वहन किया जायेगा।

कठिनाईयों के निराकरण की शक्ति.

61. (1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो शासन, राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर, ऐसे प्रावधान बना सकेगा जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो और जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक एवं समीचीन प्रतीत हो।
- (2) इस धारा के अधीन बनाए गए प्रत्येक आदेश, इसके जारी किये जाने पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।

नया रायपुर, दिनांक 13 अगस्त 2018

क्र. 8214/डी. 153/21-अ/प्रारू./छ.ग./18. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13-08-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT  
(No. 19 of 2018)  
The Chhattisgarh Fire and Emergency Service Act, 2018

INDEX  
PARTICULARS  
CHAPTER I  
PRELIMINARY

Section

1. Short title, extent and commencement.
2. Definitions.

CHAPTER II

3. One Fire and Emergency Service for the whole of the State.
4. Auxiliary Fire and Emergency Service.
5. Creation of Fire Stations.
6. Superintendence of Fire and Emergency Service to vest in the Government.
7. Constitution and Classification of Fire and Emergency Service.
8. Appointment of Director General of Fire and Emergency Service.
9. Constitution of Fire Divisions, Fire Districts, Fire Sub-Divisions and Fire Stations.
10. Issue of Certificate to Fire Officer.
11. Effect of suspension of Fire Officer.
12. General Powers of the Director General.
13. Role of Valunteers in the Fire And Emergency Service.

CHAPTER III  
FIRE PREVENTION AND SELF REGULATION

14. Preventive Measures.
15. Fire Prevention and Fire Safety measures in pandals to be self-regulatory.  
Removal of eneroachments, objects or goods likely to cause a risk of fire or any obstruction to fire fighting.  
Powers of members of the Fire and Emergency Service on occasion of fire and/or rescue.
18. Appointment of Fire Safety Officer.
19. Penalty in case of default or non-appointment of Fire Safety Officers.
20. Owner or Occupiers' liability to provide Fire Prevention Measures.

CHAPTER IV  
CONTROL AND DISCIPLINE OF FIRE AND EMERGENCY SERVICE

- Calling of returns, reports, statements, etc.
- Fire Officers deemed to be always on duty and liable to employment in any part of the State.
- Declaration of Fire and Emergency Service to be an essential service to the community.
- Penalty for violation of Duty.
- Restrictions respecting right to form association.

CHAPTER V  
LEVY OF FIRE TAX, FEE AND OTHER CHARGES

26. Levy of Fire Tax.
27. Mode of assessment, collection, etc. of Fire Tax.
28. Constitution of fund.
29. Fee on deployment of Fire and Emergency Service beyond the limits of the State.
30. Reciprocal fire-fighting arrangement with other Fire and Emergency Services.
31. Power of the Director General to enter into arrangement for assistance.
32. Tax Exemptions for Government Buildings.

CHAPTER VI  
SPECIAL PROVISION FOR THE FIRE PROTECTION AND FIRE SAFETY MEASURES IN CERTAIN  
BUILDINGS AND PREMISES IN THE STATE

33. Power of entry for inspection and recommendations for cancellation of Licenses.
34. Appeals.
35. Penalties for violation of provisions of Section 33.

CHAPTER VII  
MISCELLANEOUS

36. Deployment to other area.
37. Employment on other duties.
38. Liability of property owner to pay compensation.
39. Power to obtain information.
40. Power of entry.
41. Power to seal buildings or premises.
42. Water Supply During an Emergency.
43. No compensation for interruption of water supply.
44. Compensation for water.
45. Requisition of Fire fighting property.
46. Police officers and others to aid.
47. Failure to take precautions.
48. Penalty for willfully obstructing fire-fighting and rescue operations.
49. False report.
50. General provision for punishment for offence.
51. Compounding of offences.
52. Bar of jurisdiction of Court.
53. Cognizance of Offence.
54. Jurisdiction.
55. Protection of action taken in good faith.
56. Officers to be public servants.
57. Offences and Penalties.
58. Offence by companies.
59. Power to make rules.
60. Delegation of powers.
61. Power to remove Difficulties.

CHHATTISGARH ACT  
(No. 19 of 2018)  
**THE CHHATTISGARH FIRE AND EMERGENCY SERVICE ACT, 2018**

An Act to establish the Chhattisgarh Fire and Emergency Service, to lay down the powers and functions of the Service and to provide for matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER – I  
PRELIMINARY

- |    |   |  |
|----|---|--|
| 1. | (1) This Act may be called the Chhattisgarh Fire and Emergency Service Act, 2018.   | <b>Short title, extent and commencement.</b> |
|    | (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.  |  |
|    | (3) It shall come into force in any area on such date as the State Government, may by notification in the Official Gazette, appoint and different dates may be appointed for different areas and for different provisions of this Act.  |  |
| 2. | In this Act, unless the context otherwise requires,-  | <b>Definitions.</b>                          |
|    | (1) “Additional District Magistrate” means an officer of the Government appointed as Additional District Magistrate under sub-section (2) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);  |  |
|    | (2) “Appellate Authority” means an Officer two ranks above the officers nominated by the Competent Authority as per prescribed rules;   |  |
|    | (3) “Appropriate Judicial Authority” means Authority having Jurisdiction to deal with matters related to prosecution;   |  |
|    | (4) “Building” includes a high-rise building, house, outhouse, stable, godown, shed, hut, wall (other than a boundary wall), fencing, platform and any other structure whether of masonry, bricks, wood, mud, metal or of any other material whatsoever;  |  |
|    | (5) “Building bye-laws” means the bye-laws, rules or regulations under any relevant municipal laws and includes Bhumi Vikas Niyam 1984, the development control rules or any other building rules or regulations made under any other law for the time being in force and are in operation;   |  |
|    | (6) “Director General” means the Director General of Fire and Emergency Services appointed under Section 8 of this Act;   |  |
|    | (7) “Disaster” means a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area, arising from natural or man-made causes, or by accident or negligence, which results in substantial loss of life or human suffering or damage to and destruction of property, or damage to or degradation of environment, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area as defined in Disaster Management Act, 2005 (No.53 of 2005), as amended from time to time; |  |

- (8) "District Fire Officer" is a person appointed under sub-section (4) of Section 9 of this Act;
- (9) "District Magistrate" means an officer of the Government appointed as District Magistrate under sub-section (1) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);
- (10) "Divisional Fire Officer" is a person appointed under sub-section (4) of Section 9 of this Act;
- (11) "Emergency" means any serious situation or occurrence that happens unexpectedly and demands immediate action of the Fire and Emergency Services;
- (12) "Emergency Services" means evacuation, rescue and relief in any disaster;
- (13) "Erector of pandal" means a person or association of persons, whether corporate or otherwise, who erects or makes a pandal or any structure for occupation of people on a regular or temporary basis;
- (14) "Fire and Emergency Services" means the Fire and Emergency Services established in the State by the Government under Section 3 of this Act;
- (15) "Fire Districts" means an administrative unit constituted under sub-section (1) of Section 9 of this Act;
- (16) "Fire Divisions" means an administrative unit constituted under sub-section (1) of Section 9 of this Act;
- (17) "Fire Fees" means any fee levied, charged, imposed or collected under different provisions of this Act for services rendered by the Fire and Emergency Services;
- (18) "Fire fighting property" means and includes,-  
 (a) Lands and buildings used as fire stations;  
 (b) Fire engines, equipments, tools, implements and whatsoever used for fire fighting;  
 (c) Motor vehicles and other means of transport used in connection with fire fighting; and  
 (d) Uniforms and badges of rank.
- (19) "Fire Officer" means any operational member of the Fire and Emergency Services appointed under sub-section (1) of Section 7 of this Act;
- (20) "Fire Prevention and Life Safety Fund" is a fund constituted under sub-section (1) of Section 28 of this Act and maintained in a separate bank account;
- (21) "Fire prevention and Life safety measures" means such measures as are necessary in accordance with the Building bye-laws/National Building Code of India for the containment, control and extinguishing of fire and for ensuring the safety of life and property in case of fire or as may be prescribed in the rules made in this behalf;

- (22) "Fire Station" means any place declared generally or specially, by the State Government to be a fire station;
- (23) "Fire Sub-Divisions" means an administrative unit constituted under Section 9 of this Act;
- (24) "Fire Tax" is a Tax levied by the Government on such land and buildings as specified in this behalf in Section 26 of this Act;
- (25) "Form" means a form prescribed under this Act;
- (26) "Government" means the Government of Chhattisgarh;
- (27) "Local Authority" means a Municipal Corporation or a Municipal Council or a Nagar Panchayat or an Industrial Township constituted under any relevant municipal law or a Town & Country Planning Development Authority or Special Area Development Authority Constituted under Chhattisgarh Town & Country Planning Act, 1973 for the time being in force in the State;
- (28) "Local Fire and Emergency Services" means Local Fire and Emergency Services of any Local Authority of the State;
- (29) "Member" in relation to the Fire and Emergency Services means a person appointed to the Fire and Emergency Services under this Act;
- (30) "Member of Service" means any person appointed under Section 7 of this Act;
- (31) "Multi-storey building" means a building with such minimum height as may be prescribed under the rules in this behalf, and notified by the Local Authority or the Government;
- (32) "National Building Code of India, 2016" means the book as amended from time to time, containing fire prevention and life safety measures to be implemented in buildings, places, premises, workshops, warehouses and industries, published by the Bureau of Indian Standards from time to time, with or without amendments;
- (33) "Nominated Authority" means an officer not below the rank of District Fire Officer nominated by the Director General as a nominated authority for the purposes of this Act;
- (34) "Nominated Officer" means an officer not below the rank of District Fire Officer nominated by the Director General for the purpose of this Act:  
Provided that, different officers may be nominated for different areas;
- (35) "Notification" means a notification published in the Official Gazette and the word "notified" shall be construed accordingly;
- (36) "Occupancy" means the principal occupancy for which a building or a part of the building is used or intended to be used including subsidiary occupancies which are contingent upon it;



- (37) "Occupier" shall mean and include,-
- (a) any person who for the time being is paying or is liable to pay to the owner, the rent or any portion of the rent of the land or building in respect of which such rent is paid or payable;
  - (b) an owner in occupation of or otherwise using his land or building;
  - (c) a rent-free tenant of any land or building;
  - (d) a licensee in occupation of any land or building; and
  - (e) any person, who is liable to pay to the building owner damages for the use and occupation of any land or building;
- (38) "Officer-in-charge of Fire Station" includes, when the Officer-in-charge of the fire station is absent from the station or unable from illness or other cause to perform his duties, the Fire Officer next in rank to such officer and present at the station;
- (39) "Official Gazette" is the Gazette of the Government of Chhattisgarh;
- (40) "Operational Member" of the Fire and Emergency Services means any member of the Fire and Emergency Services, who is required to drive or operate a fire fighting vehicle, firefighting equipment and appliances at the site of fire and participate in the actual extinction of fire;
- (41) "Owner" includes a person who, for the time being, is receiving or is entitled to receive, the rent of any land or building, whether on his own account or as an agent, trustee, guardian or receiver or any other person, who should receive the rent or be entitled to receive it if the land or building or part thereof were let out to a tenant;
- (42) "Pandal" means a temporary structure with a roof or walls made of straw, hay, ulughass, golpatta, hogla durima, mat, canvas, cloth or other like material which is not adopted for permanent or continuous occupancy;
- (43) "Planning Authority" means any authority nominated by the State Government for the determined specified area notified under Chhattisgarh Town & Country Planning Act, 1973 (No. 23 of 1973);
- (44) "Premises" means any land or any building or part of a building and includes garden, ground and outhouse, if any, appertaining to a building or part of a building; and any land or any building or part of a building appurtenant thereto, which is used for storing explosives, explosive substances and dangerously inflammable substances;
- Explanation- In this sub-section, "explosive", "explosive substance" and "dangerously inflammable substance" shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Explosive Act, 1884 (4 of 1884), the Explosive (Substances) Act, 1908 (6 of 1908) and the Inflammable Substances Act, 1952 (20 of 1952);
- (45) "Prescribed" means prescribed by rules made by the State

Government under this Act;

- (46) "Prescribed Authority" is the authority notified by the State Government to act in some matters on its behalf or in its name;
- (47) "Relevant Municipal Law" means any law framed by a Municipal Corporation or a Municipal Council;
- (48) "Rules" means rules made under this Act;
- (49) "Schedule" means a Schedule appended to this Act;
- (50) "Service" means the Chhattisgarh Fire and Emergency Services established and maintained under this Act;
- (51) "State" means the State of Chhattisgarh;
- (52) "State Rules" means rules made under Article 309 of the Constitution of India by the State Government;
- (53) "Station Fire Officer" is a person appointed under sub-section 4 of Section 9 of this Act;
- (54) "Sub Divisional Magistrate" means an officer of the Government appointed as Sub Divisional Magistrate under Sub-Section (4) of Section 20 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974);
- (55) "Subordinate Operational Staff" includes every member of the Fire and Emergency Service of the rank of fireman, leading fireman, driver and any other equivalent rank.

## CHAPTER II

### ORGANIZATION, SUPERINTENDENCE, CONTROL AND MAINTENANCE OF THE FIRE AND EMERGENCY SERVICE

3. (1)

There shall be one Fire and Emergency Service for the whole of the State and all officers and subordinate ranks of the Fire and Emergency Service shall be liable for posting to any branch of the Fire and Emergency Service:

**One Fire and Emergency Service for the whole of the State.**

Provided that, the Government may, by notification in the Official Gazette, declare any Fire Brigade or any other local Fire Brigade or any other local Fire and Emergency Services of any local authority of the State, by whatever name called, that the same shall form or shall not form the part of the State Fire and Emergency Services at any time:

Provided further that this position shall not apply to the private Fire and Emergency Services maintained for providing fire protection coverage to a specific building or industry by the owner or occupier thereof.

(2)

Notwithstanding anything contained in this Act or any other law for the time being in force relating to the Local Authority, the Government may, by notification in the Official Gazette, declare the services relating to any fire brigade or fire prevention a part of the State Fire and Emergency Services with effect from such dates as may be specified in the notification.

- (3) Upon such declaration under the sub-section (2), –
- (i) all proceedings pending before any Fire Officer, immediately before the declaration, shall be deemed to be a proceeding pending before him in his capacity as the holder of the office.
- (ii) all assets, rights and liabilities relating to the Local Fire and Emergency Services of such Local Authorities shall stand transferred to the State Fire and Emergency Services, subject to such terms and conditions as the Government may deem fit;
- (iii) The Government may take such other necessary actions as it deems fit.
- Auxiliary Fire and Emergency Service.** 4. Whenever it appears to the Government that it is necessary to augment the Fire and Emergency Service, they may raise an auxiliary service by enrolment of volunteers for such area and on such terms and conditions as per rules.
- Creation of Fire Stations.** 5. The Government shall create Fire Divisions, Fire Districts, Fire Sub-Divisions and Fire Stations so as necessary, to increase the reach of the Fire and Emergency Services up to rural areas.
- Superintendence of Fire and Emergency Service to vest in the Government.** 6. The superintendence of and control over the Fire and Emergency Services throughout the State shall vest in the Government and the Fire and Emergency Services shall be administered by the Government in accordance with the provisions of this Act and rules made thereunder, through such Fire Officers as the Government may, from time to time, appoint in this behalf.
- Constitution and Classification of Fire and Emergency Service.** 7. (1) Subject to the provisions of this Act, the Fire and Emergency Service shall consist of such number of staff in such ranks, and have such organizations and have such powers, functions and duties as the Government may, by general or special order, determine.
- (2) The Government may prescribe by rules, –
- different posts of the Fire and Emergency Service;
- the mode of recruitment of staff, grade of post, qualifications, pay, allowances and other conditions of service of the officers and other staff engaged therein and matters connected therewith.
- Appointment of Director General of Fire and Emergency Service.** 8. (1) The Fire and Emergency Services shall work under the direction and supervision of the State Government. The State Government shall appoint a Director General, who shall exercise such powers and perform such duties and other functions as are specified by or under this Act and such Director General shall be deemed to be a Fire Officer.

- (2) The Government may appoint or cost to appoint such other officers and staff as may be necessary from time to time to assist the Director General while exercising the powers or discharging the duties or functions conferred under this Act or the rules made thereunder.
- (3) The jurisdiction of the Director General so appointed, shall extend to the entire State in matters relating to the Fire and Emergency Services.
- (4) Subject to the control, directions and superintendence of the Government, the Director General shall exercise such powers and perform such duties as are conferred and imposed upon him by this Act or the rules made thereunder.
9. (1) The Government may constitute Fire Divisions and Fire Districts within the state. **Constitution of Fire Divisions, Fire Districts, Fire Sub-Divisions and Fire Stations.**
- (2) The Government may divide such Fire Districts into Fire Sub-Divisions as deemed necessary and specify the Fire Stations in each Fire Division, Fire District and Fire Sub-Division respectively.
- (3) The Government may modify the limits and extent of such Fire Divisions, Fire Districts, Fire Sub-Divisions and Fire Stations, as may be necessary for administrative and operational efficiency.
- (4) (i) The Government may appoint or cost to appoint for each,-  
 (a) Fire Division, a person as the Divisional Fire Officer;  
 (b) Fire District, a person as the District Fire Officer;  
 (c) Fire Station, a person as the Station Fire Officer.  
 (ii) The qualifications for appointment and other terms and conditions of service of the Fire Officer, appointed under this sub-section shall be such as may be prescribed.  
 (iii) The Government may, by an order, direct a Local Authority or any other authority, as the case may be, to appoint a person to be the Fire Officer.
- (5) (i) Subject to the control, direction and superintendence of the Director General, Fire Officers appointed under sub-section (4), shall exercise such powers and perform such duties as are conferred and imposed upon him by this Act or rules or orders made thereunder.  
 (ii) Without prejudice to the provisions of the above clause, in case of fire prevention and disaster, as the case may be, the Fire Officer shall, for their jurisdiction, in case of any fire or emergency, act as Commanding Officer for that event and all other local or private Fire and Emergency Services engaged shall work under him.
10. (1) Every Fire Officer below the rank of Station Fire Officer shall, on enrolment or appointment receive a certificate issued under the seal of any officer authorized by the Government and shall be in such form as the Government may, by general or special order, prescribe. **Issue of Certificate to Fire Officer.**

- (2) Thereupon, such person shall have the powers, functions and privileges as entrusted under this Act or rules and orders made thereunder.
- (3) A certificate shall become null and void, when the person named therein ceases to belong to the Fire and Emergency Service or shall remain inoperative during the period such person is suspended from the Fire and Emergency Service.
- Effect of suspension of Fire Officer.** 11. The powers, functions and privileges vested in a Fire Officer shall remain suspended while such Fire Officer is under suspension from office:
- Provided that notwithstanding such suspension, such person shall not cease to be a Fire Officer and shall continue to be subject to the control of same authorities to which he would have been if he had not been under suspension.
- General Powers of the Director General.** 12. The Director General shall, subject to the superintendence and control of the Government, direct and regulate all matters of fire safety, firefighting equipment, machinery and appliances, training, observation of persons and events, mutual relations, distribution of duties, study of laws, orders and modes of proceedings and all matters of executive detail or the fulfillment of duties and maintenance of discipline of Fire Officers and members of the Fire and Emergency Service under him, as per the state rules. The Director General shall function as Head of the Department and in addition to above shall exercise such powers and perform such duties and functions as may be conferred, imposed or allotted to him by or under the provisions of this Act or prescribed rules.
- Role of Volunteers in the Fire and Emergency Service.** 13. (1) In order to encourage public participation in the Fire and Emergency Services, the Director General may enroll volunteers for such areas and on such terms and conditions as may be prescribed by the Government.
- (2) Every member enrolled under sub-section (1) shall,—
- (i) receive a certificate in the prescribed form;
- (ii) be vested with all or any of the powers, functions and privileges of a member of the service as are specially mentioned in the certificate; and
- (iii) be subject to the orders of the Director General or an officer nominated by him.
- (3) Any organization, institutions, Authority, agency or body, as specified by the Government, shall create a group of volunteers, who will operate in an emergency.
- (4) The volunteers shall be trained by the Fire and Emergency Training Center:
- Provided that, the number of volunteers, their training and equipment shall be such as may be prescribed by the Director General, with the approval of Government:
- Provided further that, volunteers will be equipped by their respective organizations.

CHAPTER III  
FIRE PREVENTION AND SELF REGULATION

14. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, declare any class of premises or buildings or occupancy and pandals, which in its opinion, is likely to cause a risk of fire. **Preventive Measures.**
- (2) The Government may, by notification in the Official Gazette, require owner or occupiers, or both, of premises or buildings or erectors of pandals, notified under sub-section (1), to take such fire prevention and fire safety measures as may be prescribed.
15. (1) Notwithstanding anything contained in this Act, the erectors of pandals shall be deemed to be self-regulators for taking fire prevention and fire safety measures prescribed under sub-section (2) of Section 14. **Fire Prevention and Fire Safety measures in pandals to be self-regulatory.**
- (2) The erector of a pandal, shall display at a prominent place in the pandal a declaration in the prescribed form and under his own signature, to the effect that he has taken all the prescribed fire prevention and fire safety measures therein.
- (3) It shall be lawful for the Director General, nominated Authority or any other Officer authorized by the Government in this behalf, to enter and inspect a pandal with a view to verify the correctness of the declaration so made by the erector under sub-section (2) and to point out the shortcomings, if any, with directions to remove them within a specified time. If the directions of the inspecting officer are not complied with within the time so given, the inspecting officer shall seal the pandal.
- (4) Any erector of a pandal who falsely declares that he has complied with the prescribed fire prevention and fire safety measures in the pandal shall be deemed to have committed an offence punishable under Section 50 of this Act.
16. (1) Where a notification has been issued under Section 14, it shall be lawful for the Director General or any officer of the Fire and Emergency Service authorized by the Government in this behalf, to direct the removal of encroachments or goods likely to cause a risk of fire or any obstruction to firefighting, to a place of safety, and on failure of the owner, occupier or erector, as the case may be, to do so, the Director General or such officer may, after giving the owner or occupier or erector, as the case may be, a reasonable opportunity of making representation, report the matter to the Sub-Divisional Magistrate, in whose territorial jurisdiction the premises or building or pandal is situated, requesting to adjudicate the matter: **Removal of encroachments, objects or goods likely to cause a risk of fire or any obstruction to fire fighting.**

Provided that, where the Director General or the Authorized Officer considers such encroachments or objects or goods to be an imminent cause of risk of fire or obstruction to firefighting, he may direct the owner or the occupier or erector of such premises or building to remove the encroachment or objects or goods forthwith and report the matter to the Sub-Divisional Magistrate accordingly.

- (2) On receipt of a report under sub-section (1), the Sub-Divisional Magistrate shall give, by means of a notice served in such manner as he may think fit, a reasonable opportunity of showing cause against the removal of encroachment or objects or goods likely to cause a risk or obstruction to firefighting.
- (3) After giving the owner or occupier or erector, as the case may be, a reasonable opportunity of making a representation under sub-section (2), the Sub-Divisional Magistrate may make an order to seize, detain or remove such encroachments or objects or goods.
- (4) The person charged with the execution of the order as made in sub-section (3) shall forthwith make an inventory of the objects and goods, which he seizes under such order, and shall, at the same time, give a written notice as may be prescribed in this behalf, to the person in possession thereof at the time of seizure, that the said objects or goods will be sold as therein mentioned if the same are not claimed within the period stipulated in the said notice.
- (5) On the failure of the person, in whose possession the objects or goods were at the time of seizure, to claim the seized goods pursuant to notice given under sub-section (4), the Sub-Divisional Magistrate shall sell them by public auction.
- (6) Any person aggrieved by any notice or order of the Sub-Divisional Magistrate may, within thirty days from the date of receipt of such order, prefer an appeal to the District Magistrate or an Additional District Magistrate nominated by him.
- (7) An appeal under sub-section (6) shall be made in such form and with such fees as may be prescribed and shall be accompanied by a copy of the notice or order appealed against.
- (8) An order passed in an appeal under sub-section (7) shall be final.

**Powers of members of the Fire and Emergency Service on occasion of fire and/or rescue.** 17.

- On the occasion of fire rescue in any area in which this Act is in force, any member of the Fire and Emergency Service, who is in charge of firefighting operations on the spot may,-
- (i) remove, or order any other member of the Fire and Emergency Service to remove, any person who by his presence interferes or impedes with the operation for extinguishing the fire or for saving life or property;
- (ii) close any street or passage in or near which a fire is being fought and/or rescue work is in progress;
- (iii) for the purpose of extinguishing fire and carrying out rescue operations, break into or through or pull down, any premises for the passage of hose or appliances or cause them to be broken into or through or pulled down, doing as little damage as possible;

- (iv) require the authority in charge of water supply in the area to regulate the water mains so as to provide water at a specified pressure at the place where fire has broken out and utilize the water of any stream, cistern, well or tank or of any available source of water, public or private, for the purpose of extinguishing or limiting the spread of such fire and carrying out rescue operations;
- (v) exercise the same powers for dispersing an assembly of persons likely to obstruct the firefighting operations, as if such an assembly were an unlawful assembly and shall be entitled to the same immunities and protections as such officer, in respect of the exercise of such powers;
- (vi) arrest a person, who willfully obstructs and hinders a Fire and Emergency Service personnel in firefighting and rescue operations and shall hand him over to a police officer or at the nearest police station without delay along with a brief note giving the time, date and reason of arrest; and
- (vii) generally take such measures as may appear to him to be necessary for extinguishing the fire or for the protection of life or property, or both.
18. Every owner and occupier or an association of such owners and occupiers of occupancies / buildings / premises , as prescribed by the Government, shall appoint Fire Safety Officers, in such numbers as may be prescribed, who shall ensure the compliance of all fire prevention and fire safety measures and effective operation thereof as provided in this Act and the rules made thereunder. **Appointment of Fire Safety Officer.**
19. (1) If any owner or occupier or an association of such owners and occupiers of a building or premises fails to appoint Fire Safety Officers under Section 18 within thirty days of the receipt of a notice given in this behalf by the Director General or the Nominated Authority, as the case may be, each one of them shall be deemed to be in default jointly and severally. **Penalty in case of default or non-appointment of Fire Safety Officers.**
- (2) When the person liable for appointment of such Fire Safety Officers is deemed to be in default, such sum not less than ten rupees per square meter and not exceeding fifty rupees per square meter of area owned/ occupied by him including the common areas in the premises as determined by the Director General, may be recovered from him by way of penalty for each month of default or part thereof.
- (3) The amount due as penalty under sub-section (2) shall be recovered as an arrears of land revenue.
20. (1) Notwithstanding the provisions of any law or the rules or bye-laws made under the National Building Code, Oil Industry Safety Directorate Guidelines, the Petroleum Act, 1934 (No. 30 of 1934) and Rules, the Explosives Act, 1884 (No. 4 of 1884) and Rules of India relating to fire prevention, the owner or occupier, of a building/hazardous installation or part of any such building/installation shall provide fire prevention measures in such building or part thereof, minimum firefighting installations as prescribed **Owner or Occupiers' liability to provide Fire Prevention Measures.**



- under sub-section (2) of Section 14 in such building; and the owner or occupier shall maintain the fire prevention systems in efficient condition at all times, as per rules.
- (2) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no Authority empowered to sanction the construction plan of any building or part of a building and to issue certificate of completion thereof, shall issue any certificate of completion or part completion thereof, unless it is satisfied that the owner has complied with the measures prescribed under sub-section (2) of Section 14.
- (3) The owner or occupier, as the case may be, of premises or buildings notified under sub-section (2) of Section 14, shall furnish to the Director General, or the Nominated Officer, a certificate regarding the compliance of the prescribed measures in such form and procedure as may be notified by the Government.
- (4) No person shall tamper with, alter, remove or cause any injury or damage to any fire prevention and life safety equipment in any such building or part thereof or instigate any other person to do so.
- (5) Where a notification has been issued, under sub-section (2) of Section 14, it shall be lawful for the Director General, or Nominated Officer, to direct the removal of objects or goods likely to cause the risk of fire, to a place of safety and on failure by the owner or occupier to do so, the Director General or Fire Officer may, after giving the owner or occupier a reasonable opportunity of making a representation, seize, detain or remove such objects or goods.
- (6) The Director General, or Nominated Officer, while performing his duties in fire-fighting operations or any other duties of seizure, detention or removal of any goods involving risk of fire, may require the assistance of police or members of the police force as an aid in performance of such duties then it will be the duty of the police of all ranks or such members to aid the Director General or such fire officer in the execution of their duties under this Act.

CHAPTER IV  
CONTROL AND DISCIPLINE OF FIRE AND EMERGENCY SERVICE

**Calling of returns, reports, statements, etc.**

21.

The Government may call for such returns, reports or statements on any subject connected with fire prevention and fire safety, the maintenance of order and the performance of duties from the Director General, Fire Officers, operational members, members and subordinate operational staff, and the same shall be immediately furnished.

**Fire Officers deemed to be always on duty and liable to employment in any part of the State.**

22.

Every Fire Officer shall, for all purposes of this Act, be deemed to be always on duty and any fire officer or any member or crew of fire officers allocated for duty in any part of the State may, if the Director General so directs, at any time, be employed on turn out duty in any other part of the State for so long as the services of the Fire Officer or any member or crew of Fire Officers may be required in such other part of the state

23. Without prejudice to the provisions of any other law on the subject for the time being in force, the Government may, by notification in the Official Gazette, declare the Fire and Emergency Service to be an essential service to the community for such period as may be notification. **Declaration of Fire and Emergency Service to be an essential service to the community.**
24. Notwithstanding any action which may be taken under the provisions of this Act, any member of the Fire and Emergency Service, who-
- (i) is found to be guilty of any violation of duty or willful breach of any provision of this Act or any rule or order made thereunder; or
- (ii) is found to be guilty of cowardice; or
- (iii) withdraws or abstains from the duties of his office without permission or without having given previous notice for fifteen days or more; or
- (iv) being absent on leave, fails without reasonable cause to report himself for duty on expiration of such leave; or
- (v) accepts any other employment or office engages himself in business in contravention of the provision of the rules,
- Shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to an amount not exceeding three months' pay of such member, or with both, in addition to any departmental administrative action he may be subject to.
25. (1) No Member of the Fire and Emergency Service shall, without the previous sanction in writing of the Government or of the Prescribed Authority,-
- (i) be a member of, or be associated in any way with, any union, labour union, political association or with any class of trade union, labour union or political association;
- (ii) be a member of, or be associated in any way with, any social institution, association, or organization that is not recognized as a part of the fire and emergency service or is not purely of a social, technical, recreational or religious nature; or
- (iii) communicate with the press or publish or cause to be published any book, letter or other document except where such communication or publication is in the bonafide discharge of his duties or is of a purely literary, artistic or scientific character.
- Explanation.- If any question arises as to whether any society, institution, association, or organization is of purely social, technical, recreational or religious nature under clause II of this sub-section, the decision of the Government thereon shall be final.
- Penalty for violation of Duty.**
- Restrictions respecting right to form association.**

- (2) No member of the Fire and Emergency Service shall participate in, or address, any meeting or take part in any demonstration organized by anybody or persons for any political purposes or for such other purposes as may be prescribed.

## CHAPTER V

## LEVY OF FIRE TAX, FEE AND OTHER CHARGES

- |  |     |     |   |
|--|-----|-----|---|
| <b>Levy of Fire Tax.</b>   | 26. |     | The Government may levy a Fire Tax (not more than 10% of the annual property tax) on lands and buildings which are situated in any area in which this Act is in force and on which property tax by whatever name called is levied by any Local Authority in that area and this shall be levied and collected as prescribed.   |
| <b>Mode of assessment, collection, etc. of Fire Tax.</b>                               | 27. | (1) | The authorities empowered to assess, collect and enforce payment of property tax under the law authorizing the Local Authority of the area to levy such tax shall, on behalf of the Government and subject to any rules made under this Act, assess, collect and enforce payment of the Fire Tax in the same manner as the property tax is assessed, paid and collected; and for this purpose, they may exercise all or any of the powers they have under the law aforesaid and the provisions of such law including provisions relating to returns, appeals, reviews, reference and penalties shall apply accordingly. |
|  |     | (2) | The proceeds of the Fire Tax collected under this Act, shall be paid to the Government in such manner and at such intervals as may be prescribed.   |
| <b>Constitution of fund.</b>   | 28. | (1) | There shall be constituted a fund to be known as the "Fire Prevention and Life Safety Fund".  |
|  |     | (2) | The proceeds of fire fees, charges and penalties, other than fines, recovered under this Act, shall be credited to this fund.   |
|  |     | (3) | The Government will formulate rules for the operation of this Fund.   |
|  |     | (4) | Fees for services render by the Fire and Emergency Service for issuing a no objection certificate, conducting a fire audit and any other fire service shall be charged as a fee in the manner as may be prescribed by Government and credited to this fund.   |
| <b>Fee on deployment of Fire and Emergency Service beyond the limits of the State.</b> | 29. | (1) | Where members of the Fire and Emergency Service are sent beyond the limits of any area in which this Act is in force, in order to extinguish a fire in the neighborhood of such limits on the request of any State Government or local body or Fire and Emergency Service Authority, they shall be liable to pay such fee as may be prescribed by the Government from time to time in this behalf.  |
|  |     | (2) | The fee referred to in sub-section (1) shall be payable within one month of the service of a notice of demand by the Director General or the State Government or local body or Fire and Emergency Service Authority, as the case may be, and if it is not paid within that period, shall be recoverable as an arrear of land revenue.   |

30. The Director General may, with the previous sanction of the Government, enter into an agreement with any Fire and Emergency Service or Authority which maintains the said Fire and Emergency Service, beyond the limits of any area in which this Act is in force, for providing personnel or equipment or both, for firefighting purpose, on such terms as may be provided by or under the agreement on reciprocal basis in public interest. **Reciprocal fire-fighting arrangement with other Fire and Emergency Services.**
31. The Director General may, with the previous sanction of the Government, enter into arrangements with any person or organization, who employees and maintains personnel or equipment or both, for firefighting purposes, to secure, on such terms, as to payment or otherwise as may be provided by or under the arrangement, the provision by that person or organization for assistance for the purpose of dealing with fire occurring in any area in which this Act is in force **Power of the Director General to enter into arrangement for assistance.**
32. No fee shall be levied on any building vested in or under the control or possession of the Government or any authority owned by the Government. **Tax Exemptions for Government Buildings.**

## CHAPTER VI

## SPECIAL PROVISION FOR THE FIRE PROTECTION AND FIRE SAFETY MEASURES IN CERTAIN BUILDINGS AND PREMISES IN THE STATE

33. (1) The Director General, or Nominated Officer, shall conduct inspection of any building on receipt of information from any source including newspaper reports, regarding inadequacies of fire prevention and life safety measures apprehending danger to the inmates, the members of public and workers. During such inspection, if it is found that there are inadequacies of prescribed fire safety or life safety measures, the Director General, or Nominated Officer, may recommend to the Appropriate Authority for cancellation of their business/trade licenses/registration with immediate effect. **Power of entry for inspection and recommendations for cancellation of Licenses.**
- (2) The Director General, or the Nominated Officer, shall be provided with all possible assistance by the owner or occupier, as the case may be, of such place or building or part thereof for carrying out the inspection under sub-section (1).
- (3) The owner or occupier or any other person empowered shall not obstruct or cause any obstruction to the entry of a person empowered or authorized under this section into or upon any land or building.
- (4) Where the inspection is carried or part by the Nominated Officer under the preceding provision of this section, he shall give a report of any such inspection to his superior Fire Officer.
- (5) The Nominated Officer shall, after completion of the inspection of the place or building or part thereof under sub-section (4), record his views on the deviations from or the contraventions of, the requirements with regard to fire prevention and life safety measures or the inadequacy or non-compliance of such measures provided or to be provided therein, with reference to the height of the building or the

nature of activities carried on in such place or building or part thereof, and issue a notice to the owner or occupier of such building or part thereof, directing him to undertake such measures within such time as may be specified in the notice.

**Appeals.**

34. (1)

Any person aggrieved by any notice or order of the Nominated Authority, issued or made under this Chapter, may prefer an appeal against such notice or order to the Appellate Authority within thirty days from the date of receipt of the notice or order appealed against:

Provided that, the Appellate Authority may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days, if he is satisfied that there was sufficient cause for not filing it within that period.

(2)

An appeal to the Appellate Authority shall be made in such form and shall be accompanied by a copy of the notice or order appealed against and by such fees as may be prescribed by the Government.

(3)

An order of the Appellate Authority on an appeal under subsection (1) shall be final.

**Penalties for violation of provisions of Section 33.**

35.

Whoever contravenes any provisions of this Chapter shall, without prejudice to any other action taken against him under this Act and rules made thereunder, be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to fifty thousand rupees, or with both and where the offence is a continuing one with a further fine which may extend to thousand rupees for every day after the first during which such offence continues.

**CHAPTER VII  
MISCELLANEOUS**

**Deployment to other area.**

36.

The Director General or any Fire Officer authorized by the Government in this behalf may, on the occasion of a fire or other emergency in any neighboring area in which this Act is not in force, order the dispatch of the members of the Fire and Emergency Service with necessary appliances and equipment to carry out fire fighting operations in such neighboring area and thereupon, all the provisions of this Act and the rules made thereunder, shall apply to such areas during the period of fire emergency or during such period as the Director General may specify on such charges as may be prescribed from time to time.

**Employment on other duties.**

37.

It shall be lawful for the Government, or any officer authorized by it in this behalf, to employ the Fire and Emergency Service in any rescue, salvage or other works for which it is suitable by reason of its training, appliances and equipment.

**Liability of property owner to pay compensation.**

38.

Any person, whose property catches fire on account of an action of his own or of his agent done deliberately or negligently, shall be liable to pay compensation to any other person suffering damage to his property.

39. The Director General, or any Nominated Authority may, for the purpose of discharging his duties under this Act, require the owner or occupier of any building or other property as may be specified to supply information with respect to the character of such building or other property as may be specified, the available water supplies and means of access there-to any other material particulars, and such owner or occupier shall furnish all the information in his possession. **Power to obtain information.**
40. (1) The Nominated Authority or any Fire Officer authorized by general or special order in this behalf may enter any of the places specified in any notification issued under sub-section (2) of Section 14 for the purpose of determining whether prevention and safety measures against fire required to be taken on such place have been so taken. **Power of entry.**
- (2) The Nominated Authority, or the authorized Fire Officer, shall after the completion of the inspection of the building or premises under sub-section (1), record its views on the deviations from or the contravention of, the notification issued under sub-section (2) of Section 14 with regard to the fire prevention and fire safety measures and the inadequacy of such measures provided therein with reference to the occupancy of the building or the nature of activities carried on in such building or premises and issue a notice to the owner or occupier of such building or premises directing him to undertake such measures as may be specified in the notice.
- (3) The Nominated Authority shall also give a report of any inspection made by it under sub-section (1) to the Divisional Fire Officer.
- (4) Save as otherwise expressly provided in this Act, no claim shall lie against any person for compensation for any damage necessarily caused by any entry made under sub-section (1).
41. (1) Where, on receipt of a report from the Nominated Authority under sub-section (4) of Section 33 or sub-section (3) of section 40, or suo-moto, it appears to the Director General, that the condition of any building or premises is dangerous to life or property, the Director General shall, without prejudice to any action taken under this Act, by order, require the person in possession or occupation of such building or premises to remove themselves from such building or premises forthwith. **Power to seal buildings or premises.**
- (2) If an order made by the Director General under sub-section (1) is not complied with, the Director General may direct any police officer having jurisdiction in the area to remove such persons from the building or premises and such officer shall comply with such directions.

- (3) After the removal of the persons under sub-section (1) or sub-section (2), as the case may be, the Director General shall seal the building or premises.
- (4) No person shall remove such seal except under an order made by the Director General.
- (5) Any person, who removes such seal, except under an order made by the Director General shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which extend to twenty five thousand rupees, or with both.
- (6) The powers of the Director General under this Section may be exercised by any Fire Officer authorized by the Government.
- Water Supply During an Emergency.** 42. It shall be lawful for the Fire Officer to draw water from any source in the area, which he considers necessary during fire-fighting operations and on such occasions as may be required and the authority or owner or occupier having control over such water source shall supply water for that purpose at such rates as may be prescribed.
- No compensation for interruption of water supply.** 43. No authority in charge of water supply in any area shall be liable to any claim for compensation for damage by reason of any interruption of supply of water occasioned only by compliance of such authority with the requirement specified in clause (iv) of Section 17.
- Compensation for water.** 44. No charge shall be made by any Local Authority for water consumed in fire fighting operation by the Fire and Emergency Service.
- Requisition of Fire fighting property.** 45. Where the Director General or Nominated Officer, who is in-charge of a fire-fighting or any emergency operation, requires fire-fighting equipment and appliance or property of any other Authority or any institution or individual, he may, by order, requisition such equipment or property for the purpose of extinguishing fire or any other emergencies in any area and take possession thereof from the Authority or any institution or individual, as the case may be.
- Police officers and others to aid.** 46. Every police officer, government and private agency or person is bound to assist the members of the Fire and Emergency Service reasonably demanding his or its aid in the execution of their duties under this Act.
- Failure to take precautions.** 47. Whoever fails without reasonable cause to comply with any of the requirements specified in a notification issued under sub-section (2) of Section 14, shall be punishable with fine which may extend to one thousand rupees or with imprisonment for a term which may extend to three months, or with both and where the offence is a continuing one, with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day after the first during which such offence continues.
- Penalty for willfully obstructing fire-fighting and rescue operations.** 48. Any person, who willfully obstructs or interferes with any member of the Fire and Emergency Service, who is engaged in fire fighting operations, shall be punishable with

imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both.

49. Any person, who knowingly gives, or causes to be given, a false report of the outbreak of a fire to any person authorized to receive such report by means of a statement, message or otherwise, shall be punishable with imprisonment which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both. **False report.**
50. Whoever contravenes any provision of this Act or of any rule or notification made thereunder, shall without prejudice to any other action taken against him under this Act and the rules made thereunder, be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both and where the offence is a continuing one with a further fine which may extend to five hundred rupees for every day after the first during which such offence continues. **General provision for punishment for offence.**
51. (1) Any offence committed after the commencement of this Act punishable under Sections 15, 20, 24, 35, 38, 41, 47, 48, 49 and 50 or any rule made under this Act, may either before or after the institution of prosecution, be compounded by such officers of the Fire and Emergency Service and for such amount as the Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf: **Compounding of offences.**  
 Provided that, no offence shall be compoundable which is committed by failure to comply with a notice, order or requisition issued by or on behalf of the Government or of any of the officers authorized under this Act until the same has been complied with so far as the compliance is possible.
- (2) Where an offence has been compounded under subsection (1), the offender, if in custody, shall be discharged and no further proceedings shall be taken against him in respect of such offence.
52. Notwithstanding anything contained in any other law or act, no court inferior to the District Court, shall entertain any suit, application or other proceedings in respect of any notice or order issued under this Act and no such notice or order shall be called in question otherwise than by preferring an appeal under this Act. **Bar of jurisdiction of Court.**
53. No court shall take cognizance of an offence under this Act, except on the complaint of, or upon information received from, the Director General or the Officer authorized by him in this behalf. **Cognizance of Offence.**
54. No court inferior to that of a Judicial Magistrate First Class, shall try an offence punishable under this Act. **Jurisdiction.**
55. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any rules made thereunder. **Protection of action taken in good faith.**



|  |     |     |  |
|--|-----|-----|--|
| <b>Officers to be public servants.</b> | 56. |     | Every officer acting under the provisions of this Act shall be deemed to be a public servant within the meaning of Section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).   |
| <b>Offences and Penalties.</b>         | 57. |     | Whoever contravenes any provision of this Act is liable for penalties prescribed under this Act and rules made thereunder.   |
| <b>Offence by companies.</b>           | 58. | (1) | Where an offence under this Act has been committed by a company, every person who, at the time the offence was committed, was in charge of, and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:<br><br>Provided that, nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence. |
|  |     | (2) | Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part, of any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.   |
|  |     |     | Explanation.- For the purposes of this section –<br><br>I. 'Company' means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and<br><br>II. Director in relation to a partnership, means a partner in the firm.  |
| <b>Power to make rules.</b>            | 59. | (1) | The Government may by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.  |
|  |     | (2) | In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for,-<br><br>I. recruitment, pay, allowances and all other conditions of service of the members of the State Fire and Emergency Service;<br><br>II. constitution of Fire Divisions comprising such numbers of Fire Districts under of Section 9;<br><br>III. constitution of Fire Districts, comprising such numbers of Fire Stations under Section 9;<br><br>IV. form of certificate to Fire Officers under sub-section (1) of Section 10;<br><br>V. purpose of meetings or demonstrations under sub-section (2) of Section 25;             |

- VI. mode of assessment, collection and enforcement of payment of Fire Tax levied under Section 27;
- VII. manner in which Fire Tax collected under Section 27 shall be paid to Government;
- VIII. fee on deployment of Fire and Emergency Service beyond the limits of the State under sub-section (1) of Section 29 and/or to other areas under Section 36;
- IX. fee for the services of rendered by the Fire and Emergency Service under sub-section (4) of Section 28;
- X. terms for reciprocal fire-fighting arrangements with other Fire and Emergency Services under Section 30;
- XI. the minimum standards for fire prevention and fire safety measures for the purpose of sub-section (2) of Section 14;
- XII. form of declaration under sub-section (2) of Section 15;
- XIII. form of notice under sub-section (4) of Section 16;
- XIV. form of appeal and fees under sub-section (7) of section 16 and sub-section (2) of Section 34;
- XV. officers of the Fire and Emergency Services, and the amount for compounding of offences under sub-section (1) of Section 51;
- XVI. rules for the operation of the fire prevention and life safety fund under sub-section (3) of Section 28;
- XVII. constructing or providing fire stations or hiring places for accommodating the members of the Fire and Emergency Service and its firefighting appliances;
- XVIII. giving rewards to persons, who have given notice of fire and to those who have rendered effective service to the Fire and Emergency Service on the occasion of fire;
- XIX. the training, discipline and good conduct of the members of the Fire and Emergency service;
- XX. regulating and controlling the powers, duties and functions of the Director General;
- XXI. generally, for the maintenance of the Fire and Emergency Service in a due states of efficiency;
- XXII. regulating installation of pandals and shamianas;

- XXIII. determining the description and quantity of fire fighting and rescue equipment including appliances, clothing and other necessaries to be furnished to the Fire and Emergency Service;
- XXIV. institution, management and regulation of any Fire and Emergency Service fund for any purpose connected with policy administration;
- XXV. assigning duties to Fire Officers of all ranks and grades, and prescribing the manner in which and the conditions subject to which, they shall exercise and perform their respective powers and duties;
- XXVI. any other matter which is required to be, or may be, provided by rules.
- (3) Every rule made by the Government under this Act shall be laid as soon as may be, before the House of the Legislative Assembly while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the House of the Legislative Assembly agrees in making any modifications in the rule or the House of the Legislative Assembly agrees that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.
- Delegation of powers.** 60. (1) The Government or the Director General or any Fire Officer may, direct that any power exercisable by it under this Act shall, subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification, be exercisable by any of the officers of the Government or by the Director General or by any Fire Officer.
- (2) The Director General may, by order, direct that any power conferred or any duty imposed on him by or under this Act shall, in such circumstances and under such conditions, if any, as may be specified in the order, be exercised and performed also by any officer of the Fire and Emergency Service specified in the order.
- Power to remove Difficulties.** 61. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by an order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.
- (2) Every order made under this Section shall be laid, as soon as may be after it is issued, before the Legislative Assembly of State.